

# लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक जुलाई 29, 1998  
की  
कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,  
लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 1998

विचारणीय विषयों की विषय-सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5 मार्च, 1998 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5 मार्च, 1998 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	15
3.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यों की, विगत तीन माह की प्रगति आख्या।	31
4.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल आय-व्ययक 1998-99 का अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 1998-99 में अब तक किये गये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति।	42
5.	बालागंज चौराहे पर बिस्मिल व्यवसायिक केन्द्र निर्मित किये गये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	43
6.	चारबाग बस अड्डे की भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव।	44
7.	भारत पेट्रोलियम द्वारा भूखण्ड संख्या-31/94, महात्मा गांधी मार्ग पर प्रस्तावित कार्यालय/आवासीय मानचित्र की स्वीकृति से सम्बन्धित प्रस्ताव।	45
8.	राज्य नियोजन संस्थान द्वारा कलाकारकर हाउस, न्यू-हेदराबाद स्थित भूखण्ड पर प्रस्तुत कार्यालय भवन के मानचित्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	46
9.	श्री नूर मोहम्मद, भूखण्ड संख्या बी-4/209 विशाल खण्ड-4 को इनके भूखण्ड के सम्मुख डेड सड़क की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।	47
10.	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित किये जाने वाले भवनों/भूखण्डों पर "लोकेशन शुल्क" लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	48
11.	सीतापुर रोड योजना के अर्न्तगत सेक्टर जी के विन्यास मानचित्र में "हाईटेन्शन लाइन" स्थानान्तरित होने के उपरान्त किये गये संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	49

12. कंचन मार्केट के सम्मुख स्थिति भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। 50
13. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में आवंटित किये जाने वाली सम्पत्तियों की फ्री-होल्ड नीति पर पुनर्विचार से सम्बन्धित प्रस्ताव। 53
14. हरदोई रोड योजना में बिजली उत्पादन हेतु नगर निगम को भूमि उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित। 58
15. हरदोई रोड योजना में 220/132 के दो सब स्टेशनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन से सम्बन्धित। 59
16. अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार। 60
17. गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के भवन निर्माण हेतु टोकन लीज रेंट लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव। 61
18. स्कूल भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित प्रस्ताव 66
19. शारदा नगर योजना स्थित भवन संख्या: एम0आई0जी0 2/298 रुचि खण्ड का कानपुर रोड योजना सेक्टर-आई में स्थित भवन संख्या एम/1516 आई में परिवर्तन। 75
20. श्री राम प्रसाद मिश्रा, जिला न्यायाधीश कानपुर देहात, कानपुर को आवंटित भवन संख्या 1/319"ए" श्रेणी अर्द्ध निर्मित विराट खण्ड गोमती नगर के स्थान पर विनीत-खण्ड में एक "बी" श्रेणी भूखण्ड के परिवर्तन के सम्बन्ध में। 76
21. श्री धर्मपाल सक्सेना को वजीन हसन रोड योजना में भूखण्ड संख्या 212 के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तित/समायोजित किये जाने के संबंध में। 77
22. श्री वी0 के0 गुप्ता को आवंटित भवन संख्या आर-62 नेहरू इन्कलेव के स्थान पर गोमती नगर में वैकल्पिक भूखण्ड देने के सम्बन्ध में। 78
23. लखनऊ नगर के सौन्दर्यीकरण योजना में सड़क विस्तार से प्रभावित भवन स्वामियों को अतिरिक्त एफ0ए0आर0 अनुमत्य किये जाने से सम्बन्धित। 79
24. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की  
बैठक दिनांक ५ मार्च, १९९८  
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
५ मार्च, १९९८ के कार्यवृत्त में अंकित निर्णय के कुछ  
बिन्दुओं पर आंशिक संशोधन किये जाने हेतु मुख्य नगर  
एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्र की छाया-प्रति  
कार्यवृत्त के अन्त में, अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

कृपया पत्र पर विचारोपरान्त कार्यवृत्त की  
पुष्टि/संशोधन पर विचार करना चाहें।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ५ मार्च, १९९८ का  
कार्यवृत्त

उपस्थित:

१. श्री देश दीपक वर्मा आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं  
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
२. श्री आर.के.मिस्तल आवास आयुक्त,  
उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद।
३. श्री जे.एस.मिश्र उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण।
४. श्री आर.पी.सिंह जिलाधिकारी,  
लखनऊ।
५. श्री बीरेश कुमार विशेष सचिव, आवास विभाग।
६. श्री मुरलीधर संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग,  
लखनऊ।
७. श्री एम.पी.अनेजा वरिष्ठ नियोजक,  
नगर नियोजन विभाग, उ.प्र.।
८. श्री अविनाश मिश्र आर.टी.ओ.,  
प्रतिनिधि, निदेशक, पर्यटन।
९. श्री बी.आर.गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता,  
प्रतिनिधि, मुख्य अभियन्ता, जलनिगम।
१०. श्री बृजलाल रावत सभासद एवं सदस्य, ल.वि.प्रा.
११. श्री शिव कुमार सभासद एवं सदस्य, ल.वि.प्रा.
१२. श्रीमती उमा शंकरि लोधी सभासद एवं सदस्या, ल.वि.प्रा.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

१३.	डा. सियाराम	प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्व विद्यालय एवं सदस्य, ल.वि.प्रा.।
१४.	श्री जयपाल सिंह	सदस्य, ल.वि.प्रा.
१५.	श्री राम अथार सिंह	सदस्य, ल.वि.प्रा.
१६.	श्री आर.एन.सिंह	सचिव, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या : १

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३०.८.९७ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३०.८.९७ के कार्यवृत्त का पुष्टि निर्मांकित संशोधन के साथ किया गया।


विषय संख्या-६ में अंकित निर्णय "विचारोपरान्त कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के स्थान पर लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता पदनाम रखे जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन को इसकी सूचना भेज दी जाये" के स्थान पर यह निर्णय अंकित किया जाये कि " " कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के स्थान पर लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता पदनाम रखे जाने हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अतः शासन को औपचारिक अनुमति हेतु प्रस्ताव भेज दिया जाये। " "

विषय संख्या : २

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३०.८.९७ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्मांकित निर्देश दिये गये-







१. वर्कालों के पेनल का पुर्नगठन दिनांक ३० अप्रैल, १९९८ तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।
२. यह सुनिश्चित किया जाये कि बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में कर्मचारियों के जो स्थानान्तरण किये गये हैं उनका शत-प्रतिशत अनुपालन हो गया है। समस्त स्थानान्तरित कर्मचारियों द्वारा अपने प्रतिस्थानी को पूर्ण चार्ज उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी स्थानान्तरित कर्मचारी के पास पूर्व प्रभार से सम्बन्धित कोई पत्रावली अवशेष नहीं रह गई है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थानी को चार्ज उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा कुछ पत्रावलियां अपने पास रखे हुए हैं तो सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य अंकित करा दें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और उन्हें इस हेतु उत्तरदायी माना जायेगा।
३. यह भी निर्देश दिये गये कि सार्वजनिक सूचना देकर सर्वसाधारण को अवगत करा दिया जाये कि किन-किन कालोनियों का रख-रखाव प्राधिकरण स्तर से किया जाना है और किन-किन कालोनियों का रख-रखाव नगर निगम द्वारा किया जायेगा जिससे जन-सामान्य को असुविधा का सामना न करना पड़े कि वह नगर निगम से सम्पर्क करें अथवा प्राधिकरण से।

विषय संख्या : ३

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : ४

लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्यय विवरण एवं बेलेन्स-शीट वर्ष १९९२-९३, ९३-९४, ९४-९५ एवं ९५-९६ का अनुमोदन।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई बेलेन्स-शीट का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

*Amk*

*h*

*h*

यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बैलेंस-शीट को शीघ्र ही निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग एवं तदुपरान्त महालेखाकार आडिट को परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाये।



विषय संख्या : ५

विकास प्राधिकरण के वास्तुकला एवं नियोजन के कार्यों में प्राइवेट वास्तुविदों को भागीदारी।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

१. नगर नियोजक/वास्तुविदों के प्रस्तावित पेनल का अनुमोदन दो वर्ष की अवधि के लिये किया गया।
२. हरदोई रोड योजना, सीतापुर रोड योजना एवं अनुपूरक विषय संख्या: १० के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रयाग नारायण रोड योजना के नियोजन हेतु चयनित आर्कीटेक्ट के पेनल से आर्कीटेक्ट का चयन कर कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
३. भविष्य में किसी परियोजना हेतु निजी वास्तुविद से कार्य कराये जाने की आवश्यकता होने पर परियोजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर, निजी वास्तुविद से कार्य कराये जाने की आवश्यकता का अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त किया जाये। तदुपरान्त वास्तुविद का चयन उपर्युक्त पेनल से उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा नियमानुसार किया जा सकेगा।
४. आर्कीटेक्ट को भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन के अनुपात में ही आर्कीटेक्ट को चरणबद्ध रूप से भुगतान किया जाये।
५. अन्य टर्म्स एवं कन्डिशनस हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें वरिष्ठ नियोजक, उ.प्र. एक सदस्य होंगे तथा अन्य सदस्यों का मनोनयन उपाध्यक्ष द्वारा स्वयं किया जायेगा।



गठित समिति की संस्तुतियों का क्रियान्वयन, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

६. उपरोक्त क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि शासन एवं नगर नियोजन विभाग, उ.प्र. से कुछ अच्छे आर्किटेक्ट्स प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर लिये जायें।

विषय संख्या : ६

पं० दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका में म्युजिकल फाउन्टेन के कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प. दीन दयाल स्मृतिका में म्युजिकल फाउन्टेन हेतु कोटेशन प्राप्त कर रु० ९.०० लाख ( रु० नौ लाख ) का कार्य कराने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।


विषय संख्या : ७

मल्टी स्टोरी कामर्शियल काम्पलेक्स के भू-तल को केवल पार्किंग हेतु प्रयोग किये जाने हेतु प्राधि. की बैठक दिनांक ३०.८.९७ के मद संख्या- १६ के अन्तर्गत गठित उपसमिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में।

निर्णय :

गठित उपसमिति की संस्तुतियों पर अध्यक्ष महोदय ने असहमति व्यक्त की और कहा कि नगर के व्यस्ततम क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी काम्पलेक्स का निर्माण हो रहा है जिनमें पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़को पर पार्किंग होने से जन सामान्य को असुविधा होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए यदि अधिनियम अथवा महायोजना के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो निर्मांकित समिति इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करे :-

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| १. सचिव, ल.वि.प्रा.                   | अध्यक्ष      |
| २. अपर मुख्य नगर अधिकारी<br>नगर निगम। | सदस्य        |
| ३. मुख्य नगर नियोजक                   | सदस्य/संयोजक |
| ४. एस.पी.ट्रेफिक                      | सदस्य        |
| ५. वरिष्ठ नियोजक, उ.प्र.              | सदस्य        |
| ६. एसोसियेट प्लानर                    | सदस्य        |
| ७. जिला प्रशासन के प्रतिनिध           | सदस्य        |







उपरोक्त के अतिरिक्त यह समिति पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में पार्किंग का समुचित प्राविधान किये जाने तथा दृढ़ता से उसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने आदि समस्त बिन्दुओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी।

विषय संख्या : ८

लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में विभिन्न समुदायों के धार्मिक, अध्यात्मिक तथा उपासना भवनों/केन्द्रों की स्थापना के लिये आवास विकास परिषद में प्रचलित प्रणाली के अनुरूप भूमि आवन्तन।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचार के दौरान अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रस्ताव स्थागित किया गया।

विषय संख्या : ९

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हरित पार्क/मनोरंजनात्मक भूमि के अनुरक्षण एवं उपयोग के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर एवं अन्य जानकारियां एकत्र कर अपनी संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु एक उपसमिति गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| १. उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. | अध्यक्ष,      |
| २. जिलाधिकारी, लखनऊ      | सदस्य,        |
| ३. विशेष सचिव, आवास      | सदस्य,        |
| ४. डा. सियाराम           | सदस्य,        |
| ५. मुख्य नगर नियोजक      | समन्वयक/सदस्य |

विषय संख्या : १०

प्राधिकरण की योजनाओं में सफाई एवं अनुरक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई तथा समिति की संस्तुतियों पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे:-

१. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।
२. सचिव/अपर सचिव, ल.वि.प्रा.।

विषय संख्या : ११

दण्ड ब्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

गठित समिति की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान में चल रही व्यवस्था के अनुसार अभी कार्यवाही की जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि ब्याज की दर एवं दण्ड ब्याज की दरों आदि के सम्बन्ध में पुनः यहाँ समिति परीक्षण कर अपनी संस्तुतियाँ अध्यक्ष, ल.वि.प्रा. को प्रस्तुत कर दें। अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरान्त इसका क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

विषय संख्या : १२

मे. सहारा इन्डिया लि. को अपोलो अस्पताल हेतु गोमती नगर योजना में भूमि के आवन्तन से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। मे. सहारा इन्डिया को गोमती नगर योजना में अपोलो अस्पताल हेतु १० एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति विषयक शासन के पत्र दिनांक २४ जनवरी, १९९८ का भी अवलोकन किया गया। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मे. सहारा लि. द्वारा शासन द्वारा अनुमोदित एवं प्रतिनिधानित व्यवस्था में संशोधन विषयक प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि जो विशेष सुविधा का प्राविधान प्राधिकारण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये करने हेतु मे. सहारा लि. को सूचित किया गया है उसमें प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में नामित जन-प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

विषय संख्या : १३

अलीगंज योजना के संवटर "डी" में हेपी वर्ल्ड स्कूल को आवन्तित भूमि के दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में हिन्दी माध्यम का विद्यालय होने व क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के दृष्टिगत सहानुभूतिपूर्वक दण्ड ब्याज माफ़ करने पर विचार करने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

अतिरिक्त भूमि का आवन्तन भूमि की तत्कालीन दर पर देय

ब्याज का आंकलन करके कर दिया जाये।

विषय संख्या : १४

श्री गंगा चरण राजपूत, सांराद, आवन्ती भवन संख्या- ५/३५५ पर लगाये गये दण्ड ब्याज की ५० प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकतम ५० प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई ब्याज माफ़ किया जाना सम्भव नहीं है।

विषय संख्या : १५

श्रीमती नीरा गुप्ता को कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आवन्ति भवन संख्या- बी-२७ पर लगाये गये दण्ड ब्याज की ५० प्रतिशत धनराशि विलम्ब से जमा करने पर लगाये गये ब्याज को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रकरण के गुण-अवगुण का परीक्षण करने के उपरान्त दण्ड ब्याज की धनराशि जमा करने में हुए विलम्ब के कारण लगाये गये ब्याज को माफ़ किये जाने की अपवाद स्वरूप स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : १६

श्रीमती कल्पना सिंह को आवन्ति भूखण्ड संख्या सी-१/४२, डी, गोमती नगर विनीत खण्ड पर लगाये गये पूर्ण ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :



निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज के प्रकरण पर विषय संख्या- ११ के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की जायें।

विषय संख्या : १७

गोमती नगर फेज-२ के आवन्तियों को कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष तक बिना लेवी शुल्क लिये भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पांच वर्ष तक बिना लेवी शुल्क लिये भवन मानचित्र स्वीकृत किये जायें।



विषय संख्या : १८

रायबरेली रोड योजना स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्रों पर आरोपित मलवाशुल्क व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यह एक चेरीटेबिल संस्था है। अतः आरोपित शुल्क माफ़ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विषय संख्या : १९

एक योजना से दूसरी योजना में तथा उसी योजना में भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय :

संलग्न सूची के अनुसार कुल १५ प्रकरणों में परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : २०

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरू इन्वलेव उपयोजना में आर्वा-ट्ट भवनों का परिवर्तन अन्य खण्डों के भवनों/भूखण्डों में करने पर परिवर्तन शुल्क न लिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नेहरू इन्वलेव के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में भी जहां प्राधिकरण स्वयं कब्जा देने में अस्मर्थ है, परिवर्तन शुल्क न लिया जाये।

विषय संख्या : २१

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूमि खसरा संख्या- ७ ग्राम उजरियांव क्षेत्रफल बांधा- ०-४-१४-० के समायोजन से सम्बन्धित।

निर्णय :



विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : २२

उ.प्र.नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९९७ की धारा २६ ए-५ में उल्लिखित शक्तियों का प्रतिनिधायन, नगर निगम की सम्पत्तियों हेतु नगर निगम अधिकारियों को किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। साथ ही विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अधिकार प्रतिनिधानित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकार प्रतिनिधानित किये गये।



विषय संख्या : २३

नगर निगम की ग्राम शेखापुर कसेला स्थित खसरा न०:९६ पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माणों को अधिग्राहीत करने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : २४

गोमती नगर योजना के विभिन्न खण्ड में प्राधिकरण भवन के निर्माण कार्य से सम्बन्धित।

निर्णय :

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्य की प्रगति से बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया। विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। प्राधिकरण के भवन की आवश्यकता को देखते हुए कार्य को नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

विषय संख्या : २५

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूमि खसरा संख्या- ८५, ग्राम विजयीपुर, क्षेत्रफल बीघा १-१-०-० का समायोजन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त समायोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

अनुपूरक विषय संख्या: १

गाजियुद्दीन हैदर कैनल को एक्सप्रेस वं के रूप में विकसित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्ताव में जनहित निहित होने को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रारम्भिक व्ययानुमान बनाये जाने हेतु विमर्श किया गया। ल.वि.प्रा. द्वारा सम्बन्धित विभाग, सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक विषय संख्या: २

हजरतगंज थाने के व्यवसायिक उपयोग से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय :

गृह विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर सेध्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपूरक विषय संख्या: ३

पार्क रोड पर पार्किंग व्यवस्था विकसित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

लोक निर्माण विभाग से समन्वय कर जनोपयोगी प्रस्ताव होने के

कारण आंग्राम कार्यवाही किये जाने पर सेध्वान्तक स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपूरक विषय संख्या : ४

रेड रोज स्कूल को गोमती नगर योजना के विनय खण्ड-४ में आवन्तित भूखण्ड से सम्बन्धित।

निर्णय :

विषय स्थगित किया गया।

अनुपूरक विषय संख्या: ५

श्री बी.एल.अग्रवाल को आवन्तित भूखण्ड पर लगाया गया दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विषय संख्या- ११ के अन्तर्गत दण्ड ब्याज हेतु गठित उपसमिति प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करें।

अनुपूरक विषय संख्या: ६

श्री शीतलापाल सिंह, सहायक नगर अधिकारी के उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय का प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

अनुपूरक विषय संख्या: ७

शमन प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित उपसमिति की संस्तुतियां।

निर्णय :

उपसमिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया। निर्णय लिया गया कि शासनादेश में किये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये। यदि किसी बिन्दु पर शासनादेश की व्याख्या से बिन्दु स्पष्ट न हो रहा हो तो शासन से उस बिन्दु पर मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये।

अनुपूरक विषय संख्या: ८

वर्जर हसन रोड की चोड़ाई के पुनर्निर्धारण से सम्बन्धित गठित उपसमिति की संस्तुतियां।

निर्णय :

उपसमिति की संस्तुतियों को ट्रेफिक समस्या के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने हेतु पुनः सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

१. पुलिस अधीक्षक, यातायात

२. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अनुपूरक विषय संख्या: ९ श्रीमती दीपा कुमार को आवन्तित भवन संख्या: एल-६२९ के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन।

निर्णय : विषय संख्या: १९ पर प्रस्तुत अन्य परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों पर लिये गये निर्णय में सम्मिलित किया गया।

अनुपूरक विषय संख्या: १० प्रयाग नारायण रोड पर स्थित भूखण्ड पर प्राइवेट वास्तुविदों से डिजाइन बनवाने की अनुमति।



निर्णय : विषय संख्या- ५ में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक विषय संख्या: ११ गोमती नगर फेज-२ के आवन्तियों को देय दण्ड ब्याज से छूट दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में जो सुविधा फेज-१ के आवन्तियों को अनुमत्त है, वही सुविधा फेज-२ के आवन्तियों को भी अनुमत्त कराई जाये।


अन्य बिन्दु : अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शहर में बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये जितने बहुखण्डी भवनों का निर्माण हो रहा है, उन समस्त की सूची उपलब्ध कराई जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि ऐसे बहुमन्जिले भवनों की भी सूची प्रस्तुत की जाये जिनके भवन चित्र तो स्वीकृत हैं। परन्तु स्वीकृत भवन चित्र के अनुरूप पार्किंग व्यवस्था हेतु आवश्यक प्राविधान नहीं किये गये हैं अथवा समुचित पार्किंग व्यवस्था हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है।


सूचीबद्ध विषयों की समाप्ति पर उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न क्षेत्रों में की गई उपलब्धियों से अवगत कराया गया। विशेष तौर पर अनधिकृत अतिक्रमण से खाली कराई गई भूमि, जन सुविधा एवं समाप्ति निस्तारण के दृष्टिगत लगाये गये केम्प तथा निराश्रितों को आवास उपलब्ध कराये जाने, रेन्ट के भवनों की विक्री से अच्छी आय प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से अवगत कराया गया।




बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों को बधाई देते हुए जनोपयोगी प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया। उनके द्वारा प्राधिकरण की फाइनेन्शियल वायबिल्टी सुधारने के लिये किये गये कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा इसके लिये भी उपाध्यक्ष को बधाई दी गई।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

  
( आर. पुन. सिंह )  
सचिव 24.3.58

  
( जे. एस. मिश्र )  
उपाध्यक्ष


अ मृ गो दि त

  
( देश दीपक वर्मा )

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं  
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

एक योजना से दूसरी योजना एवं उसी योजना में भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धी सूची

<u>क्रमांक</u>	<u>आवंटी का नाम</u>	<u>किस योजना से</u>	<u>किस योजना में परिवर्तन किया गया</u>
1.	श्री मारकण्डेय चन्द्र	शा0न0यो0 में भूखण्ड	गोमती नगर योजना में भूखण्ड
2.	श्री शिवकुमार शुक्ला	का0रो0यो0 में भूखण्ड	"
3.	श्री शिवप्रताप शुक्ला	गो0न0यो0 में भवन	"
4.	श्रीमती शान्ती देवी मिश्रा	गो0न0यो0 में भवन	"
5.	श्रीमती अनीता राय	गो0न0यो0 में भवन	"
6.	श्री राजकुमार साहू	गो0न0यो0 में भवन	"
7.	श्री एन0के0 सिंह	गो0न0यो0 में भवन	"
8.	श्रीमती बीना कुमार	गो0न0यो0 में भवन	"
9.	श्री मनोज सिंह	गो0न0यो0 में भवन	"
10.	श्री रूपक दत्ता	गो0न0यो0 में भवन	"
11.	श्रीमती दीपा कुमार	गो0न0यो0 में भवन	"
12.	श्री सुखपाल पाण्डे	गो0न0यो0 में भवन	"
13.	श्रीमती नीलिमा मिश्रा	का0रो0यो0 में भूखण्ड	"
14.	डा0 वी0के0 गुप्ता	गो0न0यो0 में भवन	"
15.	श्रीमती किरन यादव	सी0रो0यो0 में भवन	"



# नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

14/1

7, बन्दरिया बाग, लखनऊ-226001

पत्र संख्या 9889 / प.नि.0828 / लख.वी.व.प्रा.उ./97-98

दिनांक 16-08-1998

सेवा में,

आशुतोष,  
लखनऊ मण्डल एवं  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

महोदय,

कृपया लखनऊ विकास प्रा.धिकरण की बैठक दिनांक 5 मार्च, 1998 के कार्यवृत्त का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवृत्त में अभिलेखित निर्णयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख करना है:-

विषय संख्या-5


इस मद के अन्तर्गत आर्कीटेक्ट्स द्वारा कराये जाने वाले कार्य का स्कोप आफ वर्क स्पष्टतया उल्लेख न होने के कारण दरों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया था जबकि विषय संख्या 5448 के अन्तर्गत यह अभिलेखित किया गया है कि पौरयोजना के क्रियान्वयन के अनुपात में ही आर्कीटेक्ट्स को चरफखद रूप से भुगतान किया जाये। आर्कीटेक्ट्स को दी जाने वाली फीस का अनुमीदन जोड द्वारा नहीं किया गया था। स्कोप आफ वर्क के सम्बन्ध आर्कीटेक्ट्स को दी जाने वाली फीस की दरें एवं भुगतान की विधि के सम्बन्ध में विस्तृत मार्ग दिशार करने हेतु इस विभाग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक सौभोत, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गीठत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

विषय संख्या-6

इस मद के अन्तर्गत कार्यवृत्त स्वीकृत इस प्रा. के साथ प्रदान की गई थी कि प्रारम्भ द्वारा इस कार्य को कराने सम्बन्धी निर्देश का भी उल्लेख किया जायेगा, जिसे नहीं किया गया है।

विषय संख्या-25

इस मद के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया था कि यदि न्यायालय के स्पष्ट रक्षण आदेश पत्रावली में उपलब्ध है तो उसे देख कर ही प्रस्ताव स्वीकृत किया जाये।



साधव

16/98 उपाध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

P.A.

2

आर. एन. सिहा  
अभिप 19/5/98

Handwritten signature

अनुपूरक विषय  
सं० - 3

इस मंच के अन्तर्गत पार्क रोड के साथ किये गये पार्किंग का प्रस्ताव वर्तमान स्वल्प में उपयुक्त न होने के कारण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया था जबकि अभिलिखित निर्णय में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख है ।

अनुपूरक विषय  
सं० - 5

प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था न कि उप-समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने की स्वीकृति ही गई थी ।

अनुपूरक विषय  
सं० - 8

इस मंच के अन्तर्गत गठित समिति में नगर निगम के प्रतिनिधि को भी रहे जाने का निर्णय लिया गया था ।

अतः अनुरोध है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 05 मार्च, 1998 के कार्यवृत्त में उपरोक्तानुसार संशोधन करा कर संशोधित कार्यवृत्त जारी कराये जाने का कष्ट करें ।

भवदीय

॥ वीरेश कुमार ॥  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ।

सं०/दिनांक: तद्वैव ।

✓ प्रतिनिधि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

15/5/98  
॥ वीरेश कुमार ॥  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ५ मार्च, १९९८ में लिये गये  
निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या	विषय एवं निर्णय	अनुपालन आख्या
१	२	३

विषय संख्या : १

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३०.८.९७ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३०.८.९७ के कार्यवृत्त का पुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ किया गया।

विषय संख्या-६ में अंकित निर्णय "विचारोपरान्त कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के स्थान पर लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता पदनाम रखे जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन को इसकी सूचना भेज दी जाये" के स्थान पर यह निर्णय अंकित किया जाये कि " " कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के स्थान पर लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता पदनाम रखे जाने हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अतः शासन को औपचारिक अनुमति हेतु प्रस्ताव भेज दिया जाये। " "

अनुपालन किया गया। शासन को अनुमोदन प्रदान करने हेतु पत्र भेजा गया।

विषय संख्या : २

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३०.८.९७ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये-

१. वकीलों के पैनल का पुर्नगठन दिनांक ३० अप्रैल, १९९८ तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

कार्यवाही की जा रही है।

२. यह सुनिश्चित किया जाये कि बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में कर्मचारियों के जो स्थानान्तरण किये गये हैं उनका शत-प्रतिशत अनुपालन हो गया है। समस्त स्थानान्तरित कर्मचारियों द्वारा अपने प्रतिस्थानी को पूर्ण चार्ज उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी स्थानान्तरित कर्मचारी के पास पूर्व प्रभार से सम्बन्धित कोई पत्रावली अवशेष नहीं रह गई है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थानी को चार्ज उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा कुछ पत्रावलियां अपने पास रखे हुए हैं तो सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य अंकित करा दें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और उन्हें इस हेतु उत्तरदायी माना जायेगा।

अनुपालन किया गया।

३. वह भी निर्देश दिये गये कि सार्वजनिक सूचना देकर सर्वसाधारण को अवगत करा दिया जाये कि किन-किन कालोनियों का रख-रखाव प्राधिकरण स्तर से किया जाना है और किन-किन कालोनियों का रख-रखाव नगर निगम द्वारा किया जायेगा जिससे जन-सामान्य को असुविधा का सामना न करना पड़े कि वह नगर निगम से सम्पर्क करें अथवा प्राधिकरण से।

विषय संख्या : ३ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया।

कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विषय संख्या : ४ लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्यय विवरण एवं बैलेन्स-शीट वर्ष १९९२-९३, ९३-९४, ९४-९५ एवं ९५-९६ का अनुमोदन।

निर्णय : प्रस्तुत की गई बैलेन्स-शीट का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बैलेन्स-शीट को शीघ्र ही निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग एवं तदुपरान्त महालेखाकार आडिट को परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाये।

लिये गये निर्णय के अनुक्रम में बैलेन्स शीट्स, महालेखाकार, आडिट को प्रस्तुत कर दी गई है।

विषय संख्या : ५ विकास प्राधिकरण के वास्तुकला एवं नियोजन के कार्यों में प्राइवेट वास्तुविदों की भागीदारी।

निर्णय : प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये-

१. नगर नियोजक/वास्तुविदों के प्रस्तावित पैनल का अनुमोदन दो वर्ष की अवधि के लिये किया गया।
२. हरदोई रोड योजना, सीतापुर रोड योजना एवं अनुपूरक विषय संख्या: १० के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रयाग नारायण रोड योजना के नियोजन हेतु चयनित आर्किटेक्ट के पैनल से आर्किटेक्ट का चयन कर कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

निर्णयानुसार कार्यवाही की गई।

३. भविष्य में किसी परियोजना हेतु निर्जी वास्तुविद से कार्य कराये जाने की आवश्यकता होने पर परियोजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर, निर्जी वास्तुविद से कार्य कराये जाने की आवश्यकता का अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त किया जाये। तदुपरान्त वास्तुविद का चयन उपर्युक्त पैनल से उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा नियमानुसार किया जा सकेगा।

४. आर्किटेक्ट को भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन के अनुपात में ही आर्किटेक्ट को चरणवद्ध रूप से भुगतान किया जाये।

५. अन्य टर्म्स एवं कन्डीशन्स हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें वरिष्ठ नियोजक, उ.प्र. एक सदस्य होंगे तथा अन्य सदस्यों का मनोनयन उपाध्यक्ष द्वारा स्वयं किया जायेगा।

गठित समिति की संस्तुतियों का क्रियान्वयन, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

६. उपरोक्त क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि शासन एवं नगर नियोजन विभाग, उ.प्र. से कुछ अच्छे आर्किटेक्ट्स प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर लिये जायें।

अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

विषय संख्या : ६

पं० दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका में म्युजिकल फाउन्टेन के कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

पं० दीन दयाल स्मृतिका में म्युजिकल फाउन्टेन हेतु कोटेशन प्राप्त कर रु० ९.०० लाख ( रु० नौ लाख ) का कार्य कराने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विषय संख्या : ७

मल्टी स्टोरी कार्मिशियल काम्पलेक्स के भू-तल को केवल पार्किंग हेतु प्रयोग किये जाने हेतु प्राधि. की बैठक दिनांक ३०.८.९७ के मद संख्या- १६ के अर्न्तगत गठित उपसमिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में।

निर्णय :

गठित उपसमिति की संस्तुतियों पर अध्यक्ष महोदय ने असहमति व्यक्त की और कहा कि नगर के व्यस्ततम क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी काम्पलेक्सेज का निर्माण हो रहा है जिनमें पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़को पर पार्किंग होने से जन सामान्य को असुविधा होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए यदि अधिनियम अथवा महायोजना के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो निम्नांकित समिति इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करे :-

उपसमिति की बैठक दिनांक २२.५.९८ को हो चुकी है।

अग्रांतर कार्यवाही की जा रही है।

१. सचिव, ल.वि.प्रा.	अध्यक्ष
२. अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम।	सदस्य
३. मुख्य नगर नियोजक	सदस्य/संयोजक
४. एस.पी.ट्रेफिक	सदस्य
५. वरिष्ठ नियोजक, उ.प्र.	सदस्य
६. एसोसियेट प्लानर	सदस्य
७. जिला प्रशासन के प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त यह समिति पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में पार्किंग का समुचित प्राविधान किये जाने तथा दृढ़ता से उसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने आदि समस्त बिन्दुओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी।

विषय संख्या : ८

लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में विभिन्न समुदायों के धार्मिक, अध्यात्मिक तथा उपासना भवनों/केन्द्रों की स्थापना के लिये आवास विकास परिषद में प्रचलित प्रणाली के अनुरूप भूमि आवन्तन।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचार के दौरान अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रस्ताव स्थगित किया गया।

कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विषय संख्या : ९

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत हरित पट्टिका/मनोरंजनात्मक भूमि के अनुरक्षण एवं उपयोग के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर एवं अन्य जानकारियां एकत्र कर अपनी संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु एक उपसमिति गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

कार्यवाही की जा रही है।

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| १. उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. | अध्यक्ष,      |
| २. जिलाधिकारी, लखनऊ      | सदस्य,        |
| ३. विशेष सचिव, आवास      | सदस्य,        |
| ४. डा. सियाराम           | सदस्य,        |
| ५. मुख्य नगर नियोजक      | समन्वयक/सदस्य |

विषय संख्या : १०

प्राधिकरण की योजनाओं में सफाई एवं अनुरक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई तथा समिति की संस्तुतियों पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे:-

१. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ
२. सचिव/अपर सचिव, ल.वि.प्रा.।

कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : ११

दण्ड व्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

गठित समिति की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान में चल रही व्यवस्था के अनुसार अभी कार्यवाही की जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि व्याज की दर एवं दण्ड व्याज की दरों आदि के सम्बन्ध में पुनः यही समिति परीक्षण कर अपनी संस्तुतियां अध्यक्ष, ल.वि.प्रा. को प्रस्तुत कर दें। अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरान्त इसका क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : १२

मे. सहारा इन्डिया लि. को अपोला अस्पताल हेतु गोमती नगर योजना में भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। में. सहारा इन्डिया को गोमती नगर योजना में अपोला अस्पताल हेतु १० एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति विषयक शासन के पत्र दिनांक २४ जनवरी, १९९८ का भी अवलोकन किया गया। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मे. सहारा लि. द्वारा शासन द्वारा अनुमोदित एवं प्रतिनिधानित व्यवस्था में संशोधन विषयक प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि जो विशेष सुविधा का प्राविधान प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये करने हेतु में. सहारा लि. को सूचित किया गया है उसमें प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में नामित जन-प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

विषय संख्या : १३

अर्लीगंज योजना के संक्टर "डी" में हेर्पा वर्ल्ड स्कूल को आवन्टित भूमि के दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में हिन्दी माध्यम का विद्यालय होने व क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के दृष्टिगत सहानुभूतिपूर्वक दण्ड ब्याज माफ़ करने पर विचार करने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

अतिरिक्त भूमि का आवन्टन भूमि की तत्कालीन दर पर देय ब्याज का आकलन करके कर दिया जाये।

निर्णयानुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया।

विषय संख्या : १४

श्री गंगा चरण राजपूत, सांसद, आवन्टी भवन संख्या- ५/३५५ पर लगाये गये दण्ड व्याज की ५० प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकतम ५० प्रतिशत दण्ड व्याज माफ़ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई व्याज माफ़ किया जाना सम्भव नहीं है।

कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विषय संख्या : १५

श्रीमती नीरा गुप्ता को कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आवन्ति भवन संख्या- बी-२७ पर लगाये गये दण्ड व्याज की ५० प्रतिशत धनराशि विलम्ब से जमा करने पर लगाये गये व्याज को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रकरण के गुण-अवगुण का परीक्षण करने के उपरान्त दण्ड व्याज की धनराशि जमा करने में हुए विलम्ब के कारण लगाये गये व्याज को माफ़ किये जाने की अपवाद स्वरूप स्वीकृति प्रदान की गई।

निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या : १६

श्रीमती कल्पना सिंह को आवन्ति भवन संख्या सी-१/४२, डी, गोमती नगर विनीत खण्ड पर लगाये गये पूर्ण व्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

निर्णय लिया गया कि दण्ड व्याज के प्रकरण पर विषय संख्या- ११ के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की जायें।

कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : १७

गोमती नगर फेज-२ के आवन्तियों को कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष तक विना लेवी शुल्क लिये भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पांच वर्ष तक विना लेवी शुल्क लिये भवन मानचित्र स्वीकृत किये जायें।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : १८

रायवरेली रोड योजना स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्रों पर आरोपित मलवाशुल्क व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यह एक चैरीटेबिल संस्था है। अतः आरोपित शुल्क माफ़ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या : १९

एक योजना से दूसरी योजना में तथा उसी योजना में भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय :

संलग्न सूची के अनुसार कुल १५ प्रकरणों में परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई।

चौदह प्रकरणों में समायोजन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

विषय संख्या : २०

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरु इन्क्लेव उपयोजना में आवन्तित भवनों का परिवर्तन अन्य खण्डों के भवनों/भूखण्डों में करने पर परिवर्तन शुल्क न लिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नेहरु इन्क्लेव के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में भी जहां प्राधिकरण स्वयं कब्जा देने में अस्मर्थ है, परिवर्तन शुल्क न लिया जाये।

भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रकरणों में गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : २१

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूमि खसरा संख्या- ७ ग्राम उजरियांव क्षेत्रफल बीघा- ०-४-१४-० के समायोजन से सम्बन्धित।

निर्णय :

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : २२

उ.प्र.नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९९७ की धारा २६ ए-५ में उल्लिखित शक्तियों का प्रतिनिधायन, नगर निगम की सम्पत्तियों हेतु नगर निगम अधिकारियों को किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। साथ ही विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अधिकार प्रतिनिधानित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकार प्रतिनिधानित किये गये।

नगर निगम को निर्णय से अवगत कराया गया।

विषय संख्या : २३

नगर निगम की ग्राम शेखापुर कसैला स्थित खसरा नं०:१६ पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माणों को अधिग्रहीत करने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

नगर निगम को निर्णय से अवगत करा दिया गया।

विषय संख्या : २४

गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में प्राधिकरण भवन के निर्माण कार्य से सम्बन्धित।

निर्णय :

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्य की प्रगति से बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया। विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ प्राधिकरण के भवन की आवश्यकता को देखते हुए कार्य को नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

कार्य प्रगति पर है।

विषय संख्या : २५

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूमि खसरा संख्या- ८५, ग्राम विजयपुर, क्षेत्रफल बीघा १-१-०-० का समायोजन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त समायोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

कार्यवाही की जा रही है।

अनुपूरक विषय संख्या: १

गाजियुद्दीन हैदर कैनाल को एक्सप्रेस वं के रूप में विकसित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्ताव मे जनहित निहित होने को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रारम्भिक व्ययानुमान बनाये जाने हेतु विमर्श किया गया। ल.वि.प्रा. व्दारा सम्बन्धित विभाग, सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

अनुपूरक विषय संख्या: २

हजरतगंज थाने के व्यवसायिक उपयोग से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय :

गृह विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही की जा रही है।

अनुपूरक विषय संख्या: ३

पार्क रोड पर पार्किंग व्यवस्था विकसित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

लोक निर्माण विभाग से समन्वय कर जनोपयोगी प्रस्ताव होने के कारण अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही की जा रही है।

अनुपूरक विषय संख्या : ४

रेड रोज स्कूल को गोमती नगर योजना के विनय खण्ड-४ में आवन्तित भूखण्ड से सम्बन्धित।

निर्णय :

विषय स्थगित किया गया।

कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अनुपूरक विषय संख्या: ५

श्री बी.एल.अग्रवाल को आवन्तित भूखण्ड पर लगाया गया दण्ड व्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विषय संख्या- ११ के अन्तर्गत दण्ड व्याज हेतु गठित उपसमिति प्रस्ताव का परीक्षण कर अपना संस्तुति प्रस्तुत करें।

कार्यवाही की जा रही है।

अनुपूरक विषय संख्या: ६

श्री शीतलापाल सिंह, सहायक नगर अधिकारी के उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

कार्यवाही पूर्ण की गई।

अनुपूरक विषय संख्या: ७

शमन प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित उपसमिति की संस्तुतियां।

निर्णय :

उपसमिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया। निर्णय लिया गया कि शासनादेश में किये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये। यदि किसी बिन्दु पर शासनादेश की व्याख्या से बिन्दु स्पष्ट न हो रहा हो तो शासन से उस बिन्दु पर मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये।

कार्यवाही की जा रही है।

अनुपूरक विषय संख्या: ८

वर्जीर हसन रोड की चौड़ाई के पुनर्निर्धारण से सम्बन्धित गठित उपसमिति की संस्तुतियां।

निर्णय :

उपसमिति की संस्तुतियों को ट्रेफिक सम्स्या के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने हेतु पुनः सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

बैठक हो गई है। कार्यवाही की जा रही है।

१. पुलिस अर्धाक्षक, यातायात
२. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अनुपूरक विषय संख्या: ९

श्रीमती दीपा कुमार को आवन्तित भवन संख्या: एल-६२९ के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन।

निर्णय :

विषय संख्या: १९ पर प्रस्तुत अन्य परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों पर लिये गये निर्णय में सम्मिलित किया गया।

कार्यवाही पूर्ण की गई।

अनुपूरक विषय संख्या: १०

प्रयाग नारायण रोड पर स्थित भूखण्ड पर प्राइवेट वास्तुविदों से डिजाइन बनवाने की अनुमति।

निर्णय :

विषय संख्या- ५ में लिये गये निर्णय के अर्न्तगत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही की जा रही है।

अनुपूरक विषय संख्या: ११

गोमती नगर फेज-२ के आवंटियों को देय दण्ड व्याज से छूट दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दण्ड व्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में जो सुविधा फेज-१ के आवंटियों को अनुमन्य है, वही सुविधा फेज-२ के आवंटियों को भी अनुमन्य कराई जाये।

भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का, गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर, कार्यवाही की जा रही है।

अन्य बिन्दु :

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शहर में विना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये जितने बहुखण्डी भवनों का निर्माण हो रहा है, उन समस्त की सूची उपलब्ध कराई जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि ऐसे बहुमन्जिले भवनों की भी सूची प्रस्तुत की जाये जिनके भवन चित्र तो स्वीकृत हैं। परन्तु स्वीकृत भवन चित्र के अनुरूप पार्किंग व्यवस्था हेतु आवश्यक प्राविधान नहीं किये गये हैं अथवा समुचित पार्किंग व्यवस्था हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है।

सूचीबद्ध विषयों की समाप्ति पर उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न क्षेत्रों में की गई उपलब्धियों से अवगत कराया गया। विशेष तौर पर अनधिकृत अतिक्रमण से खाली कराई गई भूमि, जन सुविधा एवं सम्पत्ति निस्तारण के दृष्टिगत लगाये गये कैम्प तथा निराश्रितों को आवास उपलब्ध कराये जाने, रेंट के भवनों की विक्री से अच्छी आय प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से अवगत कराया गया।

वेठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों को वधाई देते हुए जनोपयोगी प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया। उनके द्वारा प्राधिकरण की फाइनेन्शियल वायविल्टी सुधारने के लिये किये गये कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा इसके लिये भी उपाध्यक्ष को वधाई दी गई।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये  
कार्यों की, विगत तीन माह की प्रगति आख्या।


लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये  
कार्यों की, विगत तीन माह की प्रगति आख्या  
अवलोकनार्थ संलग्न है।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
**वित्तीय वर्ष 1998-99 में अप्रैल से जून 1998 तक**  
**प्रथम तीन माह का प्रगति विवरण**

**आय**

इस वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह में प्राधिकरण द्वारा कुल 2998.00 लाख रुपये की आय की गयी। विगत वित्तीय वर्ष 1997-98 की सापेक्ष अवधि में यह आय मात्र 1933.00 लाख रुपये थी। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष की आय विगत वित्तीय वर्ष की आय की 155.10 प्रतिशत है।

अप्रैल 1998 से जून 1998 तीन माह		वृद्धि का प्रतिशत
वर्ष 1997 - 98	वर्ष 1998 - 99	
1,933.00	2,998.00	155.10%




रु० लाख में

## कृषकों को प्रतिकर का भुगतान

इस वित्तीय वर्ष की आलोच्य अवधि में कुल 395.00 लाख रुपये प्रतिकर वितरित किया गया। जबकि विगत वर्ष इसी अवधि में यह राशि मात्र 96.00 लाख रुपये थी। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं, उसमें उन किसानों को, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गयी है, प्रतिकर का भुगतान करना सर्वोच्च स्थान पर है।


अप्रैल 1998 से जून 1998 तीन माह		वृद्धि वा प्रतिशत
वर्ष 1997 - 98	वर्ष 1998 - 99	
96.00	395.00	411.46



## सुदृढीकरण /विकास शुल्क

इस वित्तीय वर्ष की आलोच्य अवधि में कुल 47.37 लाख रुपये सुदृढीकरण /विकास शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। जबकि विगत वित्तीय वर्ष की आलोच्य अवधि में यह मात्र 7.67 लाख रुपये था। इस वर्ष की उपलब्धि विगत वर्ष की उपलब्धि का 617.60 प्रतिशत है।


अप्रैल 1998 से जून 1998 तीन मह		वृद्धि का प्रतिशत
वर्ष 1997 - 98	वर्ष 1998 - 99	
7.67	47.37	617.60



शासन शुल्क

प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्मित भवनों से शासन शुल्क के रूप में इस वित्तीय वर्ष में कुल 47.00 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं जो विगत वर्ष वित्तीय की इसी आलोच्य अवधि में मात्र यह उपलब्धि 13.00 लाख रुपये था। इस प्रकार इस वर्ष की प्राप्ति विगत वर्ष की सापेक्ष अवधि में की गयी प्राप्ति की 361.54 प्रतिशत है।

अप्रैल 1998 से जून 1998 तीन माह		वृद्धि का प्रतिशत
वर्ष 1997 - 98	वर्ष 1998 - 99	
13.00	47.00	361.54



## निर्माण एवं विकास कार्य

विगत वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल से जून तक तीन माह में निर्माण व विकास कार्यों के विपरीत कुल लगभग 930.00 लाख का भुगतान किया गया। जबकि इस वर्ष उक्त सापेक्ष अवधि में 960.00 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त तीन माहों में जो भौतिक प्रगति की गयी उसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

मद	अप्रैल 1998 से जून 1998 तीन माह	
	वर्ष 1998-99	वर्ष 1997-98
सडक	5200 मीटर	3900 मीटर
नाला नाली	7410 मीटर	2700 मीटर
पार्क	7	4
पेयजल नलिकाएं	831 मीटर	610 मीटर


## सम्पत्तियों का आरक्षण

इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल से जून तक कुल 710 नई सम्पत्तियों का आरक्षण पंजीकृत व्यक्तियों को किया गया है जिसका मूल्य लगभग 1107.00 लाख रूपये है। विगत वित्तीय वर्ष में सापेक्ष आलोच्य अवधि में आरक्षित सम्पत्तियों की संख्या नगण्य थी। उल्लेखनीय है कि यह 710 ऐसे व्यक्ति हैं जो विगत कई वर्षों से प्राधिकरण में पंजीकृत थे परन्तु उनको सम्पत्तियों का आवंटन/आरक्षण नहीं किया गया था।

## अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण

इस वित्तीय वर्ष ने विगत तीन माह में कुल 779 ऐसी सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है जो विगत कई वर्षों से बिक नहीं पा रही थी इनका कुल मूल्य ₹0 881.00 लाख रूपये है। विगत वर्ष इसी आलोच्य अवधि में मात्र 158 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया था जिनका मूल्य रूपये 242.00 लाख था। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

अप्रैल 1998 से जून 1998 तीन माह		वृद्धि का प्रतिशत
वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99	
242.00	881.00	364.05



## राजकीय/प्राधिकरण की अर्जित भूमि को अनाधिकृत कब्जों से मुक्त कराना

इस वित्तीय वर्ष में उक्त तीन माह में कुल 333 हेक्टेअर भूमि अनाधिकृत कब्जों से मुक्त करायी गयी जिसका कुल मूल्य लगभग 413.00 करोड रूपये होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या में ऐसे आवंटियों को जिनका प्राधिकरण की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होने के कारण काफी वर्षों से उनको कब्जा नहीं दिया जा सका था, अनाधिकृत निर्माण हटाकर उपरोक्त अवधि में कब्जा दिया गया है।

## गोमती नगर फेज-2 योजना का विकास कार्य

मई 1998 में गोमती नगर फेज-2 योजना का कार्य विकास कार्य , जो लगभग विगत 14 - 15 साल से किसानों के प्रतिरोध के कारण बन्द पडा हुआ था, तीव्र गति से प्रारम्भ किया गया। उल्लेखनीय है कि यह योजना 800 हेक्टेअर में फैली हुई है तथा लगभग 8000 व्यक्तियों को इसमें भूखण्ड विगत 14- 15 वर्ष पूर्व से आवंटित है। परन्तु प्राधिकरण द्वारा अभी तक इस योजना में विकास कार्य न कर पाने के कारण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। इस योजना में विकास कार्य होने से न केवल 8000 व्यक्तियों को आवंटित सम्पत्तियों का कब्जा दिया जा सकेगा वरन काफी बडी संख्या में अन्य व्यक्तियों को भी भूखण्ड/भवन आवंटित किये जा सकेंगे। यह निश्चय ही एक बडी उपलब्धि कही जा सकती है।

## आवासीय योजना

इस वित्तीय वर्ष के विगत तीन माह में प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित आवासीय योजनाओं भी प्रारंभ की गयी हैं जिनका मुख्य उद्देश्य दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराना है :-

- रुपया 10.00 प्रतिदिन के भुगतान पर रिक्शाचालकों को को आवास उपलब्ध कराने की अनूठी कल्याण कुटीर योजना
- जानकीपुरम विस्तार योजना में मध्यम एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को रु0 2.00 लाख से कम की कीमत पर निर्मित देवरस टाइप आवास उपलब्ध कराने की योजना।
- बालागंज में विस्थापित दुकानदारों को दुकान देने हेतु विरिमत व्यावसायिक केन्द्र योजना तथा राजकीय भूमि पर बसे लोगों के आवासों को विनियमित करने की योजना

उक्त के अतिरिक्त आश्रय योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित 4000 मकानों के निर्माण हेतु भी योजना तैयार कर ली गयी है।

## मानचित्रों का निस्तारण

इस वित्तीय वर्ष में विगत तीन माह में कुल 475 मानचित्रों का में 399 का निस्तारण कर दिया गया एवं मात्र 76 मानचित्र निस्तारण हेतु लम्बित है जबकि विगत वित्तीय वर्ष में सापेक्ष आलोच्य अवधि में कुल 390 मानचित्रों में से 275 मानचित्रों का ही निस्तारण किया गया था तथा 115 मानचित्र लम्बित थे। मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग मानचित्र स्वीकृति कराने में रूचि लें एवं अनाधिकृत निर्माण कग हों। इसका परिणाम यह रहा कि इस वर्ष विगत वर्ष के सापेक्ष अवधि में लगभग 20 प्रतिशत मानचित्र अधिक जमा हुए हैं।

## अर्जित भूमि पर स्थगन आदेश को समाप्त कराकर भूमि का कब्जा प्राप्त करना

इस वित्तीय वर्ष में विगत 3 माह में माननीय उच्च न्यायालय में लगभग 12 वर्षों से लम्बित 31 प्रकरणों में प्रभावी पैरवी कर प्राधिकरण केपक्ष में निर्णय कराया गया जिसमें कुल 243 एकड भूमि का कब्जा लेकर विकास कार्य प्रारम्भ किये गये है। इस भूमि के कीमत लगभग 100.00 करोड रूपये है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

## गोमती नगर योजना के खण्डों का नगर निगम को हस्तान्तरण

गोमती नगर योजना का अनुरक्षण एवं जन सुविधा हेतु नगर निगम को हस्तान्तरण का मामला विगत कई वर्षों से लम्बित था। इस प्रकरण पर नगर निगम से समन्वय स्थापित कर गोमती नगर योजना के 4 खण्डों को नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया। इस हेतु नगर निगम को 40.. 56 लाख रूपये का भुगतान भी किया गया ताकि नगर निगम सफाई उपकरणों का कय कर सके। उल्लेखनीय है इन खण्डों में मात्र सफाई व्यवस्था पर 34.00 लाख रूपये प्रति वर्ष प्राधिकरण को वहन करने पडते थे।

## बिना मानचित्र स्वीकृत कराये जाने वाले निर्माण पर अंकुश

यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जिन व्यक्तियों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किया जा रहा है, विशेष रूप से व्यावसायिक निर्माणों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जाये। इसके लिए पूरे लखनऊ को 5 प्रवर्तन जोनों में बांटा गया है जिसके प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी बनाये गये हैं तथा प्रत्येक जोन में का कार्य एक -अधिशासी अभियन्ता को सौंपा गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आवासीय भू-उपयोग के विपरीत अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक निर्माण करने पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित हो सका है।

## पार्कों का विकास व वृक्षारोपण

प्राधिकरण इस वर्ष एक लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रक्रिया विगत दो माह से प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त 69 पार्कों का विकास करने का लक्ष्य भी रखा गया है जिसके के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। कानपुर रोड योजना में 100 एकड़ भूमि पर स्मृति वन का विकास प्रारम्भ कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा छोड़ी गयी हरित पट्टिकाओं की भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे एक ओर प्राधिकरण की भूमि सुरक्षित हो सकेगी तथा दूसरी ओर वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी।

## प्राधिकरण में विभिन्न अनुभागों का संगणकीकरण(कम्प्यूटरीकरण)

प्राधिकरण के सभी अनुभागों का संगणकीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है एवं यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह कार्य अगले तीन माह में पूरा हो जाये। इस हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित कर दिये गये हैं। तथा प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अग्रतर कार्यवाही करायी जा रही है।

इससे एक ओर तो कार्य की गति बढ़ेगी, पारदर्शिता उत्पन्न होगी तथा दूसरी ओर अभिलेखों में हेरा-फेरी करने की प्रवृत्ति पर भी रोक लग सकेगी।

## भ्रष्टाचार पर अंकुश

प्राधिकरण के भ्रष्ट व दोषी पाये गये कर्मियों के न केवल निलम्बन/अनुशासनिक की कार्यवाही की गयी है वरन उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है जिससे एक ओर तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है तथा दूसरी ओर जनता में प्राधिकरण की छवि तथा विश्वसनीयता भी बढ़ी है। इस वित्तीय वर्ष की आलोच्य अवधि में 7 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है तथा 5 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

## संवेदनशील प्रशासन

जनता के मध्य प्राधिकरण की छवि उज्ज्वल हो सके एवं विश्वसनीयता कायम हो सके, इस हेतु प्राधिकरण मित्र दिवस का आयोजन प्रारम्भ किया गया। यह प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किया जाता है। प्राधिकरण मित्र दिवस में प्रकरण की जटिलताओं के आधार पर पूर्व में तिथि निर्धारित कर दी जाती है तथा संबंधित पत्रावली पर संबंधित व्यक्ति के समक्ष अधिकारियों से चर्चा कर उन पर निर्णय लिया जाता है। विगत तीन माह में 107 ऐसे प्रकरणों को अन्तिम रूप से निस्तारित किया जा चुका है जो लगभग 10 से 15 साल पुराने थे। इसके अतिरिक्त जनता से मिलने हेतु सप्ताह में पांच दिन निर्धारित है तथा प्रत्येक दिन 4 घण्टे जनता से मिलने के लिए दिये जा रहे हैं ताकि उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण हो सके। रिस्पान्स टाइम को न्यूनतम करने का प्रयास भी किया गया है।

विषय संख्या : 4

पृष्ठ संख्या : 42

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल आय-व्ययक १९९८-९९ का अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष १९९८-९९ में अब तक किये गये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति।

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक १९९८-९९ अलग से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

बालागंज चौराहे पर "विस्मिल व्यवसायिक केन्द्र" निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

---

लखनऊ-हरदोई मार्ग पर स्थित बालागंज चौराहे पर प्राधिकरण की लगभग 6 एकड़ भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से दुकानों तथा आवासीय भवनों का निर्माण किया गया था, जिसे प्राधिकरण द्वारा विगत दिनों ध्वस्त करा दिया गया है। उक्त स्थल के निरीक्षण के समय माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री द्वारा स्थल से विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवासन हेतु महानगर में विकसित गोल मार्केट के अनुरूप "बिस्मिल व्यवसायिक केन्द्र" बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे। मा० मंत्री जी के निर्देशों के अनुक्रम में उक्त स्थल पर लगभग 1.78 एकड़ क्षेत्रफल में एक व्यवसायिक केन्द्र का अभिकल्प किया गया है तथा इसके अन्तर्गत विस्थापितों हेतु 124 दुकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

लखनऊ महायोजना (संशोधित) 2001 के, अनुसार स्थल का भू-उपयोग आवासीय (आर-2) है। प्रश्नगत स्थल के दक्षिण में प्राधिकरण की आजाद नगर योजना स्थित है, जबकि इसके उत्तर में हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत लगभग 1,500 एकड़ भूमि प्राधिकरण द्वारा विकास हेतु अधिग्रहीत की गयी है। इसके अन्तर्गत विकास का कार्य प्रारम्भ भी हो गया है। इस काम्पलेक्स का नियोजन इस प्रकार किया गया है कि यह हरदोई रोड योजना तथा सम्पूर्ण क्षेत्र के "इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट प्लान" में व्यवसायिक सुविधाओं का भाग होगा।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

---

चारबाग बस अड्डे के सिण्डर्स डम्प योजना, आलमबाग में स्थानांतरित होने पर प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली चारबाग बस अड्डे की भूमि के भू-उपयोग को बस टरमिनल (बी०टी०) से वाणिज्यिक, खण्डीय विपणन केन्द्र (सी-4) में परिवर्तन के संबंध में

विषय वस्तु:

दिनांक 9.6.98 को मा० मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक में परिवहन निगम के चारबाग बस स्टेशन को सिण्डर्स डम्प में तत्काल स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को सिण्डर्स डम्प में 6.1 एकड़ भूमि परिवहन निगम को हस्तांतरित करनी है तथा बदले में परिवहन निगम द्वारा प्राधिकरण को चारबाग बस अड्डे की 6567.50 वर्ग मी० भूमि हस्तांतरित की जानी है, जिसके निर्मित भाग को कब्जा प्राधिकरण को बस अड्डे के सिण्डर्स डम्प में स्थानांतरित होने के उपरांत भौतिक रूप से उपलब्ध हो सकेगा।

सिण्डर्स डम्प पर निर्मित किये जाने वाले बस अड्डे हेतु शासन के आवास विभाग द्वारा एक करोड़ रुपये की धनराशि प्राधिकरण को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी है जिसमें से प्राधिकरण द्वारा रु० 25.00 लाख परिवहन निगम को उपलब्ध भी कराये जा चुके हैं शेष धनराशि प्राधिकरण निगम को निर्माण कार्य की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगा। चूंकि ऋण की वापसी प्राधिकरण द्वारा की जानी है। अतः चारबाग बस अड्डे में वर्तमान में रिक्त भूमि का व्यवसायिक उपयोग कर प्राधिकरण द्वारा शासन के ऋण की वापसी की व्यवस्था की जानी है।

लखनऊ महायोजना 2001 (संशोधित) के अनुसार चारबाग स्थित बस अड्डे का भू-उपयोग बस टरमिनल (बी०टी०) है। स्थल के समीप हुए चतुर्दिक विकास तथा भूमि की व्यवसायिक महत्ता को दृष्टिगत करते हुए स्थल का भू-प्रयोग व्यवसायिक परिवर्तित किया जाना प्राधिकरण के हित में होगा। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में चारबाग स्थित परिवहन निगम के बस अड्डे की स्थानांतरित होने वाली 6567.50 वर्ग मी० भूमि के भू-प्रयोग को बस टरमिनल (बी०टी०) से वाणिज्यिक, खण्डीय विपणन केन्द्र (सी-4) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या: 7

पृष्ठ संख्या: 45

विषय: भारत पेट्रोलियम कं० लि० द्वारा भूखण्ड सं०: 31/94, महात्मा गांधी मार्ग पर प्रस्तावित कार्यालय/आवासीय मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव:

भारत पेट्रोलियम कं० लि० द्वारा भूखण्ड सं०: 31/94, महात्मा गांधी मार्ग पर कार्यालय/आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 1830.65 वर्गमी० है । मौके पर विद्यमान भवन में वर्तमान में महायोजना लागू होने के पूर्व से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० का कार्यालय चल रहा है। महायोजना 2001 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड आर-2 (आवासीय क्षेत्र) में पड़ता है, इसी भूखण्ड के 743.49 वर्गमी० क्षेत्रफल पर पक्ष द्वारा पुराने कार्यालय भवन को तोड़कर नये कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति चाही गयी है । इसके साथ ही प्रश्नगत भूखण्ड के शेष क्षेत्रफल 729.87 वर्गमी० पर अधिकारियों के रहने हेतु आवासीय निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र दिया गया है। लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना 2001 के पृष्ठ सं०: 14 के परिशिष्ट सं०: 2.1 के अनुसार आवासीय क्षेत्र में कार्यालय भवन निर्माण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी (प्राधिकरण बोर्ड) द्वारा दी जा सकती है।

अतः आवासीय क्षेत्र में प्रश्नगत भूखण्ड के 743.49 वर्गमी० क्षेत्रफल पर महायोजना के अनुसार ग्राउण्ड कवरेज 40% तथा एफ०ए०आर० 100 के साथ कार्यालय उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 7

पृष्ठ संख्या: 45

विषय: भारत पेट्रोलियम कं० लि० द्वारा भूखण्ड सं०: 31/94, महात्मा गांधी मार्ग पर प्रस्तावित कार्यालय/आवासीय मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव:

भारत पेट्रोलियम कं० लि० द्वारा भूखण्ड सं०: 31/94, महात्मा गांधी मार्ग पर कार्यालय/आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 1830.65 वर्गमी० है । मौके पर विद्यमान भवन में वर्तमान में महायोजना लागू होने के पूर्व से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० का कार्यालय चल रहा है। महायोजना 2001 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड आर-2 (आवासीय क्षेत्र) में पड़ता है, इसी भूखण्ड के 743.49 वर्गमी० क्षेत्रफल पर पक्ष द्वारा पुराने कार्यालय भवन को तोड़कर नये कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति चाही गयी है । इसके साथ ही प्रश्नगत भूखण्ड के शेष क्षेत्रफल 729.87 वर्गमी० पर अधिकारियों के रहने हेतु आवासीय निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र दिया गया है। लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना 2001 के पृष्ठ सं०: 14 के परिशिष्ट सं०: 2.1 के अनुसार आवासीय क्षेत्र में कार्यालय भवन निर्माण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी (प्राधिकरण बोर्ड) द्वारा दी जा सकती है।

अतः आवासीय क्षेत्र में प्रश्नगत भूखण्ड के 743.49 वर्गमी० क्षेत्रफल पर महायोजना के अनुसार ग्राउण्ड कवरेज 40% तथा एफ०ए०आर० 100 के साथ कार्यालय उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 8

पृष्ठ संख्या: 46

विषय: राज्य नियोजन संस्थान द्वारा कालाकांकर हाउस, न्यू हैदराबाद स्थित भूखण्ड पर प्रस्तुत कार्यालय भवन के मानचित्र के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव:

राज्य नियोजन संस्थान द्वारा कालाकांकर हाउस, न्यू हैदराबाद स्थित भूखण्ड पर कार्यालय निर्माण की प्रस्तावना हेतु भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रश्नगत भूखण्ड महायोजना 2001 के अनुसार आर-2 जोन में आता है जबकि प्रस्तावना कार्यालय निर्माण हेतु प्रस्तावित है, महायोजना के प्रविधानों के अनुसार आर-2 जोन (आवासीय) में भू-आच्छादन 40% एवं एफ0ए0आर0 100 के साथ कार्यालय निर्माण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। प्रश्नगत प्रकरण पर आर-2 जोन में कार्यालय उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति वांछित है ।

अतः आर-2 जोन में राज्य नियोजन संस्थान द्वारा प्रस्तावित कार्यालय निर्माण की अनुमति हेतु तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

विषय:- श्री नूर मोहम्मद.भूखण्ड संख्या बी-4/209,विशाल खण्ड-4 को इनके भूखण्ड के सम्मुख " डेड एण्ड" सड़क की भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

---

श्री नूर मोहम्मद को प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड-4 में भूखण्ड संख्या बी-4/209 आवंटित है। इनके द्वारा दिनांक 29-4-97 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि इनके भूखण्ड के सम्मुख स्थित सड़क का भाग किसी अन्य के उपयोग में नहीं आता है, अतः उक्त भूमि को इन्हें आवंटित कर दिया जाय।

योजना के तलपट मानचित्र में श्री नूर मोहम्मद के भूखण्ड के सामने "डेड एण्ड" सड़क के दूसरी ओर मदरसे (वार्सिया पब्लिक स्कूल) की चहारदीवारी है। सड़क के आवेदित भू-भाग पर केवल श्री नूर मोहम्मद की ही एप्रोच है तथा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में श्री नूर मोहम्मद को इनके भूखण्ड के सम्मुख स्थित "डेड एण्ड" सड़क के भाग को नियमानुसार निर्धारित दर पर खुले स्थान के रूप में आवंटित किये जाने तथा तदनुसार तलपट मानचित्र में परिवर्तन किये जाने से संबंधित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि इस भू-भाग पर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। आवंटी इसे खुले भू-भाग के रूप में प्रयोग करेगा। प्राधिकरण से अनुमोदन की दशा में शासनादेश संख्या: 4900/9-आ-3-1996 60एल0यू0सी0 दिनांक 26-12-96 के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

---

प्रस्ताव सं० प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित किये जाने वाले भवनों/भूखण्डों पर "लोकेशन शुल्क" लिये जाने के संबंध में विचार

विषय वस्तु:- प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विकसित किये जाने वाले भवनों/भूखण्डों में कुछ भूखण्डों/भवनों की स्थिति विशेष होने के कारण उनके आवंटियों को योजना में प्रस्तावित विभिन्न सुविधाओं का विशेष लाभ उपलब्ध होता है। यथा - कार्नर भूखण्ड/भवनों, पार्क के सम्मुख स्थित भवन/भूखण्ड, चौड़े मार्ग के सम्मुख स्थित भवन/भूखण्ड आदि। वर्तमानमें प्राधिकरण द्वारा केवल कार्नर के भवनों/भूखण्डों पर आवंटियों से भूमि मूल्य की ५प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि "लोकेशन शुल्क" के रूप में ली जा रही है जबकि ऐसे भवनों/भूखण्डों के आवंटियों जिनका भूखण्ड/भवन चौड़ी सड़क, पार्क के सम्मुख अथवा हरित पट्टी के सम्मुख स्थित है उनसे कोई भी "लोकेशन शुल्क" नहीं लिया जा रहा है। अतः प्रस्ताव है कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित किये जाने वाले भवनों/भूखण्डों पर उनकी स्थिति विशेष के दृष्टिगत निम्नानुसार "लोकेशन शुल्क" सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त लिया जाय:-

क्रम सं०	विवरण	लोकेशन शुल्क
१.	कार्नर के भवन/भूखण्ड	भूमि मूल्य का ५प्रतिशत
२.	पार्क के सम्मुख स्थित भवन/भूखण्ड	भूमि मूल्य का ५ प्रतिशत
३.	हरित पट्टी के सम्मुख स्थित भवन/भूखण्ड	भूमि मूल्य का ५प्रतिशत
४.	१८.०मी.अथवा इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भवन/भूखण्ड -	भूमि मूल्य का ५प्रतिशत

"लोकेशन शुल्क" के रूप में ली जाने वाली कुल धनराशि किसी भी दशा में भूमि मूल्य के १५प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।


प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सीतापुर रोड योजना के अर्न्तगत सेक्टर "जी" के विन्यास मानचित्र में "हाईटेन्शन लाइन" स्थानान्तरित होने के उपरान्त किये गये संशोधन के सम्बन्ध

विषय वस्तु:-

प्राधिकरण की सीतापुर रोड योजना के अर्न्तगत जानकीपुरम आवासीय योजना के सेक्टर "जी" के पूर्व अनुमोदित विन्यास मानचित्र में स्थल पर "हाईटेन्शन लाइन" होने के कारण इसके नीचे की भूमि को हरित एवं खुले स्थान हेतु छोड़ा गया था। वर्तमान में उक्त हाईटेन्शन लाइन के अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाने के फलस्वरूप इसके नीचे का ऐसा क्षेत्र, जोकि आवासीय उपयोग की निरन्तरता में है, को आवासीय उपयोग में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। तलपट मानचित्र में उपर्युक्त परिवर्तन के पश्चात योजना में उपलब्ध पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्रतिशत महायोजना में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप ही है तथा इससे योजना के नियोजन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

शासनादेश संख्या: 4900/9-आ-3-1996-60, दिनांक 16.12.96 के प्राविधानों के अनुपालन में उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधनों हेतु जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने आवश्यक है। अतः प्रश्नगत तलपट मानचित्र में प्रस्तावित संशोधनों हेतु जन साधारण से उ०प्र० नगर विकास एवं योजना अधिनियम-1973 की धारा-13(1) के अर्न्तगत 30 दिन के अन्दर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दो स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करा दी गयी है। आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को समिति गठित करने तथा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई योजनाओं के स्वीकृत तलपट मानचित्र में, उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करना चाहें।



कंचन मार्केट के सम्मुख स्थित भूखण्ड के भू-प्रयोग परिवर्तन एवं महायोजना मार्ग के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

आख्या

चौक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कंचन मार्केट के सम्मुख ५,६५६.०६ वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड है जो नजूल की सम्पत्ति है, किन्तु विकास प्राधिकरण को योजना बनाये जाने हेतु हस्तान्तरित है। इस भूमि पर अनेक बार झुग्गी-झोपड़ी का निर्माण वरके अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाकर अन्यत्र बसाया जा चुका है। यह भूमि चौक के व्यावसायिक क्षेत्र में मेडिकल कालेज के समीप होने के कारण व्यावसायिक दृष्टिकोण से अन्यन्त मूल्यवान है। यह भूमि मेडिकल कालेज परिसर के समीप पाटानाला के उपरान्त तथा कंचन मार्केट के मध्य महायोजना के अनुसार २४.००-मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है, जैसाकि संलग्न मानचित्र से स्पष्ट है।

२. लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना २००१ के अनुसार उक्त भूखण्ड अस्पताल के प्रयोग हेतु दर्शाया गया है तथा हुसैनाबाद में ऐतिहासिक भवनों के क्षेत्र में स्थित है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियम के अनुसार ऐतिहासिक भवन के परिसर से १००.० मीटर की दूरी तक प्रत्तिष्ठान घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत इस भूमि का ६९१.०९ वर्गमीटर क्षेत्रफल आता है, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। १००.० मीटर के परे २००.० मीटर तक विनिगमित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिस पर निर्माण की अनुमति पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर दी जा सकती है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत अवशेष समस्त भूमि जिसका क्षेत्रफल ४,९६४.९१ वर्गमीटर है आ रही है।

३. प्राधिकरण द्वारा इस भूमि का सदुपयोग करते हुए व्यावसायिक/आवासीय उपयोग हेतु इसे २५ भूखण्डों में विभाजित कर दिनांक १८.३.९८ को नीलामी की गयी थी, जिसके अन्तर्गत १३ भूखण्ड निस्तारित किये जा चुके हैं।

४. उक्त भूमि की स्थिति तथा व्यावसायिक मूल्य को दृष्टिगत करते हुए उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में भू-प्रयोग परिवर्तन तथा मार्ग के पुनर्निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

क: चूंकि यह भूखण्ड मेडिकल कालेज के भू-भाग से पृथक है तथा इस स्थल की स्थिति भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सम्मुख होने के कारण व्यावसायिक प्रयोजन हेतु-

(क्रमशः).....


(२)

-अधिक उपयुक्त है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में ऐतिहासिक भवन से १००.० मीटर की परिधि में पडने वाले ६९१.०९ वर्गमीटर प्रतिसिद्ध क्षेत्रफल को "अस्पताल" भू-उपयोग से "पार्क एवं क्रीडा-स्थल"(पी-१) तथा १००.० मीटर से परे २००.० मीटर की परिधि में पडने वाले ४,९६४.९१ वर्गमीटर विनियमित क्षेत्रफल को "अस्पताल" भू-उपयोग से व्यावसायिक/आवासीय(सी-ओ) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

ख: इस भूखण्ड के सामने महायोजनानुसार २४.० मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित है, जिसकी लम्बाई लगभग २४०.० मीटर है। इस मार्ग पर आगे की ओर जलनिगम का पम्प हाउस तथा रामलीला ग्राउण्ड है, जिसका निकास इस मार्ग पर तथा खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कालेज मार्ग पर भी है। यह मार्ग एकल यातायात हेतु भी निर्धारित है। अतः यातायातीय दृष्टिकोण से इस मार्ग पर अधिक दबाव नहीं है। महायोजना के प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक क्षेत्र में मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम १२.० मीटर निर्धारित की गयी है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में इस मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई को २४.० मीटर से घटाकर १८.० मीटर किया जाना प्रस्तावित है।

ग: ऐतिहासिक भवनों के क्षेत्र में स्थित होने के कारण आवंटियों के भवनों के मानचित्र पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।



# DHANVANTARI COMPLEX

- कुल क्षेत्रफल ————— 5656.06 वर्ग मी.
- ऐतिहासिक भवन से 100 मी. की दूरी तक प्रातिपद क्षेत्र — 691.09 वर्ग मी.
- ऐतिहासिक भवन 100 से 300 मी. की दूरी तक विनियमित क्षेत्र — 4964.91 वर्ग मी.

SCALE — NOT TO SCALE


विषय: आवंटित भूखण्डों/भवनों को फ्री-होल्ड किये जाने से संबंधित

शासनादेशसंख्या 163//9-आ-1-95-मिस/86 दिनांक 10.5.95 §संलग्नक-1§ तथा शासनादेश संख्या 1778/9-आ-1-95-213/डी0ए0/ 294 दिनांक 24.5.95 §संलग्नक-2§ द्वारा शासन ने विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भवनो/भूखण्डों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9.11.95 में विषय संख्या-5 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि स्कूल, अस्पताल तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं जिनको रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करायी गयी है, उनमें फ्रीहोल्ड की कार्यवाही न की जाये।

3. पुरानी योजनाओ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरान्त जो योजनायें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की गयी, उनमें आवंटित काफी भूखण्डों पर आवंटियों द्वारा भवनों का निर्माण नहीं किया गया है। इससे जहां एक ओर आवासीय भवनों को उपलब्ध कराने के शासन के उद्देश्य को प्राधिकरण पूरा नहीं कर पा रहे हैं वहीं दूसरी ओर ऐसा प्रतीत होता है कि आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि को इसलिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मूल्य बढ़ने पर वे उसे बेच सकें। यदि भूमि प्रारम्भ से ही फ्री-होल्ड कर दी जाती है तो ऐसा कोई अधिकार नहीं रहेगा कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवंटी भूखण्ड पर समयानुसार निर्माण करें ताकि योजना का क्रियान्वयन समयानुसार हो जाये।

अतः इस सम्बन्ध में यह प्रस्तावित है कि आवंटित भूखण्डों को तभी फ्री-होल्ड किया जाय जब आवंटी उस पर भवन निर्माण कर लें। अतएव इस संबंध में यदि प्राधिकरण बोर्ड अनुमति दें तो शासन से इस पर पुनीविचार हेतु अनुरोध किया जाये।



§के0बी0 सक्सेना§

लागत एवं वित्तीय सलाहकार  
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

①  
पृष्ठ: 54  
संलग्नक-1

संख्या-1639/9-आ-1-95-80मिस/86

प्रेम,  
श्री. एस. कुमार आ  
वि. एस. मिश्र  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
लखनऊ।
2. उप-अध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण  
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 10 मई, 1995

विषय: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का फ्री-होल्ड में परिवर्तन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश में स्थित विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में सम्पत्ति भूखण्डों/भवनों से सम्बद्ध भूमि को लीज पर आवंटित करने की कार्यवाही की जाती है। विकास प्राधिकरणों के गठन के पूर्व सुधार न्यास इन्स्यूमेंट ट्रस्ट द्वारा भी आवास निर्मित करके उन्हें फ्रीज पर उठाया जाता रहा है। प्राधिकरणों का गठन होने पर सुधार न्यास समस्त परिस्थितियों सहित विकास प्राधिकरणों में सौंपी जा रही है। यदि विकास प्राधिकरण, सुधार न्यास अथवा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा जो भूमि/भवन लीज पर आवंटित किये गये हैं उनमें लीज की अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ 30-30 वर्ष के दो मध्यवर्ती नवीनीकरण सहित सामान्यतया 90 वर्ष के लिये लीज दिये जाने का प्राविधान रहता है। लीज पर भूमि आवंटन की व्यवस्था में आवंटनी को लीज रेंट जमा करने, लीज नवीनीकरण कराने, सम्पत्ति के विक्रय या हस्तान्तरण पर संबंधित अधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करने आदि की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्बन्धित विधायी प्रावधानों के अन्तर्गत...

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भूमि/भवन को फ्री-होल्ड किये जाने लिये निम्नानुसार व्यवस्था/कार्यवाही की जायेगी :-

1. विकास प्राधिकरणों/ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नये आवंटियों को भूखण्ड अनिवार्य रूप से सीधे फ्री-होल्ड के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा और भूमि के मूल्य की 12 प्रतिशत धनराशि फ्री-होल्ड शुल्क के रूप में ली जायेगी। यह धनराशि भूमि के मूल्यांकन में सम्मिलित रहेगी।
2. जिन आवंटियों को पूर्व में लीज पर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं उनसे भूमि के रजिस्ट्रेशन शुल्क का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर भूमि फ्री-होल्ड कर ली जायेगी। परन्तु यह सुविधा उन्हें ही अनुमन्य होगी जिन्होंने सम्पूर्ण लीज रेंट जमा कर दिया है और फ्री-होल्ड करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। लीज रेंट जमा करने के संबंध में शासनादेश दिनांक 23.10.86 के प्रस्तर-1 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. महायोजना में लागू भू-उपयोग के विपरीत कार्य करने वाले को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
3. उपरोक्त शासनादेश तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है। स्वयं उक्त डा व्यापक प्रचार करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय  
ह0/-  
§ प्रभास कुमार झा §  
विशेष सचिव

सं0-1639 § 1 §/9-आ -1 -95-सददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2. समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
5. शासन के समस्त अनुभाग

आज्ञा से  
ह0/-  
§ विश्वेश्वर कुमार यादव §  
अनु सचिव

श्री. गंगाधर कुमार आ,  
105/11, गुरु रोड  
उत्तर प्रदेश शासन।

संलग्निका - 2

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
लखनऊ।
2. उपायुक्त,  
समस्त विकास प्राधिकरण  
उत्तर प्रदेश।
3. अयुक्त,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण  
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 24 मई, 1995

विषय:- उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भूखण्डों का फ्री-होल्ड में परिवर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-1639/9-आ-1-95-60/मिस/86 दिनांक 10 मई, 1995 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-2 की द्वितीय पंक्ति में रजिस्ट्रेशन मूल्य के स्थान पर श्रुतिवश रजिस्ट्रेशन शुल्क टंकित हो गया है। अतः उपरोक्त निर्णयित शासनादेश दिनांक 10 मई, 1995 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-2 को निम्नोक्त षट्का जाय:-

विश्व आवंटितियों का पूर्व में लीज पर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। उनसे भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर भूमि फ्री-होल्ड कर दी जायेगी परन्तु यह सुविधा उन्हें ही अनुमन्य होगी जिन्होंने सम्पूर्ण लीज रेंट जमा कर दिया है और फ्री-होल्ड करके हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। लीज रेंट जमा करने के संबंध में शासनादेश दिनांक 23. 10. 96 के प्रस्तर-1 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः कृपया तदनुसार उपरोक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा

जाय तथा कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

EO/-

§ प्रभास कुमार शा §  
विशेष सचिव

सं०-1778 § 1 §/9-आ-1-95-तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

1. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2. समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

EO/-

§ शिशिर कुमार यादव §  
अनु सचिव

*[Handwritten signature and notes, including a large diagonal line across the bottom half of the page.]*


विषय संख्या: 14

पृष्ठ संख्या: 58

विषय: हरदोई रोड योजना में कूड़े से विजली बनाने हेतु नगर निगम को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव: कूड़े से विजली उत्पादन सम्बन्धी संयंत्र स्थापित करने हेतु नगर निगम द्वारा हरदोई रोड योजना में 7 एकड़ भूमि की मांग की गयी है, उक्त भूमि ग्राम बरीकलों और मूसाबाग फारेस्ट के मध्य ईट भट्ठे के गड्ढे की भूमि है। अतः नगर निगम द्वारा दी गयी उक्त भूमि ग्राम बरावन खुर्द के खसरा सं०: 593 से लेकर 602 तक कुल रकबा 112 बीघा 15 विस्वांरी है। नगर निगम ने हरदोई रोड योजना में आने वाली सम्पूर्ण ग्राम समाज भूमि, जो नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार लगभग 206 बीघा है, के बदले में उक्त 7 एकड़ भूमि मांगी गयी है। अतः भूमि के बदले भूमि दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञातव्य हो कि उक्त दी जा रही भूमि पर कोई विक्रास शुल्क नगर निगम से नहीं लिया जायेगा।

अतः हरदोई रोड योजना में सम्पूर्ण ग्राम समाज की भूमि के बदले उक्त 7 एकड़ भूमि नगर निगम को दिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है ।



विषय:- हरदोई रोड योजना में 220/132 के0वी0 सबस्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित ।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 12-6-98 द्वारा हरदोई रोड योजना में 220/132/33 के0वी0 उपकेन्द्र हेतु 15 एकड़ भूमि की मांग की । साथ ही उपरोक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को उपरोक्त उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाये।

2. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि हरदोई रोड योजना में कृषकों से प्रतिकर के सम्बन्ध में जो समझौता किया गया है उसके अनुसार 1,25,000/- प्रति बीघा का भुगतान किया जाना है। अतः उपरोक्त दर से भूमि की लागत लगाते हुए दिनांक 30-9-98 } 30-9-98 भुगतान की तिथि मानते हुए तक चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हुए भूमि की लागत निकाली गयी जो रूपया 278/- प्र0व0मी0 आती है। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को जो भूमि दी जायेगी उसमें ट्रंक सीवर तथा एस0डब्लू0 ड्रेन की सुविधा भी उपरोक्त विभाग द्वारा प्राप्त की जायेगी। अतः उपरोक्त दोनों मदों का बाह्य विकास व्यय निकाला गया है जो रूपया 232/- प्र0व0मी0 आती है। इस प्रकार दर रूपया 510/- प्र0व0मी0 आती है जबकि आवासीय भूमि की दर इस समय 1500/- प्र0व0मी0 से कम नहीं आ रही है। उपरोक्त दर से 15 एकड़ भूमि का प्रीमियम रूपया 309.585 लाख आता है। 10% लीज रेंट रूपया 30.958 लाख एवं रूपया 500/- अन्य व्यय देय होगा। इस प्रकार कुल देय धनराशि रूपया 340.548 लाख आती है।

3. उपरोक्त दर से 15 एकड़ भूमि के आवंटन का प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता विद्युत प्रेषण मण्डल उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को इस कार्यालय के पत्र संख्या: 1937/प्र0अ0/बी0एस0/98 दिनांक 17-7-98 द्वारा भेजा जा चुका है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद काफी समय से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करता आ रहा है परन्तु भूमि की लागत (प्रतिकर ब्याज सहित) तथा उन बाह्य विकास सुविधाओं की लागत जो उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा प्राप्त की जायेगी को तो लिया ही जाना चाहिए। तदनुसार ही न्यूनतम दर उपरोक्तानुसार 510/- प्र0व0मी0 निकाली गयी है। कृपया अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

विषय: अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण से सम्बन्धित

विभिन्न योजनाओं में लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय तथा व्यवसायिक सम्पत्तियां काफी मात्रा में रिक्त हैं। यद्यपि वर्ष 1993 से लगातार इन रिक्त सम्पत्तियों को निस्तारित करने हेतु सतत प्रयास किये गये एवं स्पार्ट सेल भी लगाई गयी, परन्तु अब भी सम्पत्तियां रिक्त हैं। इन रिक्त सम्पत्तियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण की लगभग 40 करोड़ की पूंजी फंसी हुई है। यह धनराशि ब्लाक होने के कारण प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है एवं विकास कार्य भी बाधित हुए हैं।

शासन के पत्र संख्या: 440/9आ-1/96 दिनांक फरवरी, 1996, जिसकी प्रतिलिपि "संलग्नक-1" पर संलग्न है, द्वारा अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं तथा जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ई0डब्ल्यू0एस0 भवन व साइट एवं सर्विसेज भूखण्डों को छोड़कर अलोकप्रिय सम्पत्तियां नीलामी द्वारा निस्तारित की जायें।

उपरोक्त सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त शासनादेश के अनुरूप समय-समय पर अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण का प्रयास किया जाता रहा है एवं इस वित्तीय वर्ष के विगत तीन माह में लगभग रु0 800.00 लाख की सम्पत्तियां निस्तारित की गयी है। फिर भी काफी मात्रा में व्यवसायिक एवं आवासीय सम्पत्तियां अभी भी निस्तारण हेतु उपलब्ध हैं। यह भी अवगत कराना है कि इस वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण द्वारा जो अलोकप्रिय सम्पत्तियां निस्तारित की गयी हैं, उनका आवंटन समाचार पत्रों में एक योजना विज्ञापित कराने के पश्चात काफी प्रचार-प्रसार के बाद किया गया है। इसमें काफी हद तक यद्यपि सफलता मिली है परन्तु फिर भी मांग न होने के कारण सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इससे एक ओर तो प्राधिकरण को धनराशि नहीं मिल पा रही है एवं दूसरी ओर सम्पत्तियों का रख-रखाव न होने के कारण उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

अतः इस सम्बन्ध में प्रस्तावित है कि सम्पत्तियों का जो वर्तमान मूल्य पूर्व से ही आकलित है, उसी मूल्य में अधिकतम दस प्रतिशत की छूट (रिबेट) देकर उनका पुनः मूल्य आकलित कर लिया जायें। परन्तु यह मूल्य तभी कम किया जाए जब पूर्व में काफी प्रयास करने के बाद भी सम्पत्तियां निस्तारित न हो सकी हों। इस सम्बन्ध में छूट देकर मूल्य निर्धारित करने के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत कर दिया जाये। साथ ही साथ यदि अनिस्तारित सम्पत्तियों को कोई एक सम्पत्ति से दूसरी सम्पत्ति में अथवा पूर्व आवंटित किसी भी सम्पत्ति से अनिस्तारित सम्पत्ति में परिवर्तन कराना चाहता है तो उसमें गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को अधिकृत कर दिया जाये।

विषय: गोमती नगर योजना के विराज सण्ड में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कलेज एवं अस्पताल के भवन निर्माण हेतु टेकेन लीज रेन्ट लिये जाने से सम्बन्धित,

आस्था= सीतापुर रोड योजना के तृतीय चरण में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 4 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। कुल प्रीमियम प्राप्त होने के पश्चात् निदेशक {होम्योपैथिक} उ०प्र० लखनऊ ने अनुरोध किया कि जिस प्रकार ल०वि०प्र० ने इंजीनियरिंग कलेज, सेन्ट्रल स्कूल, रिमोट सेंसिंग फ्लिकेशन सेन्टर आदि को अपनी योजनाओं में भूमि देकर टेकेन लीज रेन्ट ₹०१.०० प्रति वर्ष लिया है, उसी प्रकार उपरोक्त होम्योपैथिक मेडिकल कलेज को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में भी टेकेन लीज रेन्ट ₹०१.०० प्रति वर्ष लिया जायें क्योंकि यह कलेज एवं अस्पताल सरकार द्वारा संचालित है एवं सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत आता है।

2. उपरोक्त विषय प्राधिकरण {बोर्ड} की बैठक दि०२१.०६.८९ में विषय सं०-१७ के अन्तर्गत रखा गया था। विषय तथा लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न है {संलग्नक-१ व २}। विचार विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण {बोर्ड} द्वारा यह निर्णय लिया गया कि होम्योपैथिक मेडिकल कलेज को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में अन्य शैक्षिक संस्थाओं की भांति ₹०१.०० वार्षिक की दर से टेकेन लीज रेन्ट लिया जायें।

3. यद्यपि उपरोक्त आवंटित भूमि की लीज डीड दि०२०.०४.९२ को निष्पादित हो गई थी, परन्तु कृषको के प्रबल विरोध के कारण स्थल पर न तो विकास कार्य प्रारंभ हो पाये और न ही भूमि का कब्जा दिया जाना संभव हो सका। साह फरवरी, १९९६ में उपरोक्त कलेज के प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया कि महामहिम श्री राज्यपाल शिलान्यास करना चाहते हैं तथा उन्होंने शिलान्यास की तिथि १६.३.९६ बतलाई। अतः मौके पर शिलान्यास कराने हेतु पहुँच मार्ग निर्मित किये जाने का प्रयास किया गया, परन्तु कृषको के प्रबल विरोध के कारण कार्य नहीं हो पाया। उपरोक्त स्थिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ/आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ, सचिव, विविक्त्सा शिक्षा उ०प्र० शासन, जिलाधिकारी लखनऊ तथा उपअध्यक्ष ल०वि०प्र० द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल को दि०१५.३.९६ को अवगत कराया गया। उस समय यह निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना में विकल्प के रूप में भूमि दे दी जायें। अतः तत्कालीन उपअध्यक्ष द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया तथा गोमती नगर योजना के विराज सण्ड में ४ एकड़ भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया।

तदोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा गोमती नगर योजना में आवंटित भूमि में शिलालान्यस किया गया ।

4. सीतापुर रोड योजना में आवंटित भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त कलेज द्वारा सरेन्डर डीड कर दी गई तथा अनुबन्ध निष्पदित करके उपरोक्तानुसार 4 एकड़ भूमि का कब्जा दे दिया गया था । बाद में उपरोक्त कलेज द्वारा सूचित किया गया कि एक एकड़ भूमि की ओर आवश्यकता है । अतः उपरोक्तानुसार आवंटित 4 एकड़ भूमि से संलग्न एक एकड़ भूमि और आवंटित की गई । एक एकड़ भूमि का प्रिमियम ₹022,25,773.00 लिया गया तथा अनुबन्ध निष्पदित करके 5 एकड़ भूमि का कब्जा दिया जा चुका है क्योंकि उपरोक्त कलेज तत्काल निर्माण कराना चाहता था । लीज डीड आयकर विभाग से फार्म 37(1) पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही निष्पदित हो सकती थी ।

5. प्राचार्य नेशनल होम्योपैथिक कलेज एवं अस्पताल ने अपने पत्र दि011.8.97 तथा बाद के पत्रों द्वारा अनुरोध किया है कि पूर्व में आवंटित 4 एकड़ भूमि के विरुद्ध अब तक 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है । उसमें एक एकड़ भूमि का भी टोकेन लीज रेंट ₹01.00 प्रति वर्ष ही लिया जायें । तदनुसार प्रस्ताव है कि एक एकड़ अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में ₹01.00 प्रति वर्ष टोकेन लीज रेंट लिया जायें । प्राधिकरण कृपया निर्णय लेने का कष्ट करें ।

(के० वी० 14/7/97)  
लागत एवं विकास विभाग  
विकास (वि०)

संख्या-1

नो.वि०प्र० की बैठक दि० 21.6.82 की विषय सं० 17  
का उद्देश

पृष्ठ: 63

विषय संख्या: 17

विषय : सीतापुर रोड योजना में नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के भाषन निर्माण हेतु टोकन लीज़ रेंट लिये जाने से सम्बन्धित ।

आख्या : सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "डी" में राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के भाषन निर्माण हेतु 4 एकड़ भूमि प्राधिकरण द्वारा आवन्तित की गई है । उपरोक्त भूमि का कुल प्रीमियम प्राप्त हो चुका है ।

2. निदेशक § होम्योपैथी § 30प्र० लखनऊ ने अपने पत्र सं० नो.हो०/509/3343 दिनांक 23-4-89 § प्रतिलिपि संलग्न § द्वारा अनुरोध किया है कि जिस प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन्जीनियरिंग कॉलेज, सेन्ट्रल स्कूल रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर आदि को अपनी योजनाओं में भूमि देकर टोकन लीज़ रेंट ₹ 1/- प्रति वर्ष लिया है, उसी प्रकार उपरोक्त होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज को आवन्तित भूमि के सम्बन्ध में भी टोकन लीज़ रेंट ₹ 1/- प्रति वर्ष लिया जाये क्योंकि यह कॉलेज एवं अस्पताल भी सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत आता है ।

प्रस्ताव : होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज को आवन्तित भूमि के सम्बन्ध में भी अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की भाँति ₹ 1/- वार्षिक की दर से टोकन लीज़ रेंट लिया जाय ।

निदेशक डॉ. म्योपैथी उ० प्र०,  
468, चौदगंज गार्डन, लखनऊ ।

सेवा में,

पृष्ठ: 64

सचिव,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

संख्या--नि०डो०/509/3343

लखनऊ: दिनांक 23 अप्रैल, 1989

विषय:- सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "डी" में भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के भवन निर्माण हेतु सीतापुर रोड योजना में 4 एकड़ भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गयी है । उपरोक्त भूमि के कुल प्रीमियम में से ₹026,05,475=00 का भुगतान प्राधिकरण को बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिनांक 20.4.89 को कर दिया गया है । शेष धनराशि ₹08,74,825=00 का भी भुगतान करने हेतु त्थरित कार्यवाही की जा रही है तथा यह धनराशि भी शीघ्रतिशीघ्र लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो जायेगी ।

यह ज्ञात हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिन सार्वजनिक संस्थाओं, जैसे-इंजीनियरिंग कालेज, सेन्ट्रल स्कूल, रिमोट सेन्सिंग स्पलिकेशन सेन्टर आदि, को अपनी योजनाओं में भूमि दी है, उनसे टोकन लीज रेंट ₹01/- प्रति वर्ष लिया है ।

चूंकि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल भी सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत ही आता है, अतः अनुरोध है कि कृपया इस संस्था हेतु आवंटित भूमि के सम्बन्ध में भी टोकन लीज रेंट ₹01/- प्रति वर्ष लिये जाने के आदेश निर्गत करने की कृपा करें ।

भवदीय,

HO/-

॥ अविनाश चन्द्र सक्सेना ॥  
निदेशक

संलग्नक-२

पृष्ठ: 65

ल०वि०प्र० बोर्ड की बैठक दि० 21.6.89 में रखे गये विषय सं० 17 में लिये गये निर्णय की प्रती,

" विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि होम्सोपैथी मेडिकल कालेज को सीतापुर रोड योजना में आवंटित भूमि के सम्बन्ध में भी अन्य शैक्षिक संस्थाओं की भाँति रु० 1/- वार्षिक की दर से टोकेन लीज रेन्ट लिया जाये।

विषय : स्कूल भूखण्डों के आवन्टन से सम्बन्धित।

कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, गोमती नगर योजना, अलीगंज तथा सीतापुर रोड योजना में रिक्त स्कूल भूखण्डों के सम्बन्ध में पंजीकरण समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक २४.९.९७ से दिनांक १०.१०.९७ तक खोला गया था। विभिन्न योजनाओं में कुल ५५ पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें गोमती नगर योजना के लिये ३०, अलीगंज योजना के लिये ८, सीतापुर रोड योजना के लिये ६, कानपुर रोड योजना के लिये ५ तथा शारदा नगर योजना के लिये ६ हैं। इनके अतिरिक्त मेसर्स सहारा आर्ट्स ऐण्ड मैनेजमेन्ट का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने सहारा आर्ट्स ऐण्ड मैनेजमेन्ट एकाडमी के लिये ३.५ एकड़ भूमि की मांग की। इस प्रयोजन हेतु भूमि गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड के संस्थागत क्षेत्र में उपलब्ध है।

२. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक १०.३.९८ को उपाध्याय, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई थी। समिति की बैठक में प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार विमर्श किया गया। समिति की संस्तुति संलग्न है (संलग्नक-१)। समिति ने जिन स्कूल भूखण्डों के आवन्टन के सम्बन्ध में संस्तुति की है उनके सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण संलग्न है (संलग्नक-२)।

३. शासनादेश संख्या : १७०४/९-आ-१-९६, दिनांक १९.४.९६ (संलग्नक-३) के अनुसार स्कूल भूखण्डों को आवन्टन इस शासनादेश में दी हुई दरों के आधार पर किया जाना है। अतः निम्न प्रस्ताव है : -

१. समिति की संस्तुति में महाराणा प्रताप विद्या मन्दिर को गोमती नगर योजना के विशेष खण्ड-३ में स्कूल भूखण्ड के आवन्टन का प्रस्ताव है। समिति की बैठक के पश्चात् ज्ञात हुआ है कि यह स्कूल भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। अतः विशेष खण्ड-३ के स्थान पर इसी योजना के विभव खण्ड में जिसमें लगभग बराबर मात्रा का स्कूल भूखण्ड रिक्त है, स्कूल भूखण्ड का आवन्टन किया जाये।
२. मेसर्स सहारा आर्ट्स ऐण्ड मैनेजमेन्ट एकाडमी द्वारा मुख्यतया 'मैनेजमेन्ट के कोर्सेज़ जैसे एम.बी.ए./बी.बी.ए. चलाने हैं, अतः इस संस्था को भूमि निर्धारित दर रु० २१६०/- प्रति वर्ग मीटर से आवन्टित किया जाये।
३. शेष स्कूलों को उपरोक्त शासनादेश में अंकित दरों के अनुसार भूमि आवन्टित की जाये। परन्तु उस दर पर गोमती नगर योजना में २० प्रतिशत अधिक (१० प्रतिशत बन्धे के निर्माण हेतु एवं १० प्रतिशत तृतीय जलकल के निर्माण हेतु) एवं अन्य योजनाओं में १० प्रतिशत अधिक ( इन्फ्रा-स्ट्रक्चर के सुधार हेतु) लिया जाये।

कृपया प्राधिकरण अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

विभिन्न योजनाओं में शिवत स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में प्राधिकरण (बोर्ड) द्वारा गठित

समिति की बैठक दिनांक 10-03-98 को हुई बैठक का कार्यपत्र ।

उपरिस्थिति :

1-	श्री जे०एस०मिश्र, उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा०	अध्यक्ष समिति
2-	श्री आर०एन०सिंह, सचिव, ल०वि०प्रा०	सदस्य
3-	श्री प्रभात शिन्हा, अपर जिला अधिकारी	सदस्य
4-	श्री के०वी०सक्सेना, सी०एफ०ए०, ल०वि०प्रा०	सदस्य
5-	श्री प्रेम प्रकाश गोर्या, जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
6-	श्रीमती प्रेमा देवी, सह-जि०वि०निरीक्षिका	सदस्या
7-	श्री धनराज मिश्र, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य

समिति को अग्रगत कराया गया कि कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, गोगती नगर योजना, अलीगंज तथा सीतापुर रोड योजना में शिवत स्कूल भूखण्डों के सम्बन्ध में पंजीकरण समाचार पत्रों के माध्यम से दि० 24-9-97 से 10-10-97 तक खोला गया था। विभिन्न योजनाओं में कुल 55 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें गोगती नगर योजना के लिये 30, अलीगंज योजना के लिये 8, सीतापुर रोड योजना के लिये 6, कानपुर रोड योजना के लिये 5 तथा शारदा नगर योजना के लिये 6 हैं। इसके अतिरिक्त मैसर्स सहारा आर्ट्स एण्ड मैनेजमेन्ट एकाडमी का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने सहारा आर्ट्स एण्ड मैनेजमेन्ट एकाडमी के लिये 3.5 एकड़ भूमि की मांग की। इस प्रयोजन हेतु भूमि गोगती नगर योजना के विपुल खण्ड के संस्थागत क्षेत्र में उपलब्ध है। विचार विमर्श करने के पश्चात् निम्न स्कूल भूखण्ड आवंटित किये जाने की संस्तुति की जाती है:-

क्रमांक	विद्यालय का नाम	सेक्टर का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमी०)
क-	<u>गोगती नगर योजना :</u>		
1-	पायनियर माण्टेसरी स्कूल	विशेष खण्ड-1	1600 वर्गमी० ✓
2-	महाराणा प्रताप विद्या मन्दिर	विशेष खण्ड-3	7349.12 वर्गमी०
3-	लिटिल फ्लैण्डर्स स्कूल	विशेष खण्ड-4	2312 वर्गमी०
4-	सेन्ट पीटर्स स्कूल	विराज खण्ड-5	5201 वर्गमी०
5-	अवध गर्ल्स डिग्री कालेज	विराज खण्ड	19400 वर्गमी०
6-	मे० सहारा आर्ट्स एण्ड मैनेजमेन्ट एकाडमी	विपुल खण्ड संस्थागत क्षेत्र	3.5 एकड़
ख-	<u>अलीगंज योजना</u>		
1-	उदय माण्टेसरी स्कूल	'एन'	3235.84 वर्गमी० ✓
ग-	<u>सीतापुर रोड योजना:</u>		
1-	प्रगति माण्टेसरी स्कूल	'सी'	2475 वर्गमी०



विद्यालयों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण:-

क- मोमती नगर योजना,

1- पाथभियर माण्डेसरी स्कूल

इस स्कूल की 15 शाखाएं लखनऊ, बराबंकी तथा हैदराबाद में कार्यरत हैं तथा यह स्कूल कक्षा 12 तक शिक्षा दे रहा है। यह स्कूल राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। इस स्कूल की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष श्री अफ्जल सिंह हैं।

11- महाराणा प्रताप विद्या मन्दिर:-

यह स्कूल सोसाइटीज एक्ट में पंजीकृत है। इस स्कूल के प्रबन्धक श्री गिरीश कुमार सिंह हैं। इस स्कूल को राज्य सरकार से अस्थाई मान्यता प्राप्त हुई है जो जून 96 से दो वर्ष के लिये ली गयी है। यह स्कूल विषय खण्ड मोमती नगर में निजी प्रयत्न में चल रहा है।

111- लिटिल फ्लैग्स स्कूल:-

यह स्कूल सोसाइटीज एक्ट में पंजीकृत है। यह विद्यालय प्री-प्राइमरी तक शिक्षा दे रहा है। अतः सरकार द्वारा मान्यता आवश्यक न होने का उल्लेख किया गया है। यह स्कूल विषय खण्ड मोमती नगर में निजी प्रयत्न में चल रहा है। इस स्कूल के प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री से० मो० अफ्जल हैं।

11/- सेन्ट पीटर्स स्कूल:-

यह स्कूल सोसाइटीज एक्ट में पंजीकृत है तथा राज्य सरकार से अस्थाई मान्यता प्राप्त है। जून 96 से दो वर्ष के लिये। यह स्कूल मोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड-2 में चल रहा है। इस स्कूल की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष तुली हैं।

1/- अवध गर्ल्स डिग्री कालेज:-

यह स्कूल मान्यता प्राप्त है। यह विद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा दे रहा है। इस स्कूल की ख्याति अच्छी है। इस स्कूल की प्रबन्ध समिति की अध्यक्ष श्रीमती बेगम हबीबुल्लाह हैं।

1/1- मेसर्स सहारा आर्ट्स एण्ड मैनेजमेण्ट एकाडमी:-

मेसर्स सहारा की एक यूनिट सहारा आर्ट्स एण्ड मैनेजमेण्ट एकाडमी एम०बी०ए० के पाठ्यक्रम चलाना चाहती है। इसके साथ ही बी०ए० तथा बी०काम० का भी पाठ्यक्रम चलाना चाहती है। उक्त एकाडमी ने मान्यता हेतु सचिव उच्च शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। उक्त एकाडमी का संचालन, सहारा

वेलफेयर फाउण्डेशन जो कि एक रजिस्टर्ड एवं मान्यता प्राप्त संस्था है, द्वारा विभिन्न हुआ है परन्तु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप सहारा वेलफेयर फाउण्डेशन द्वारा संवाहित " सहारा आर्ट्स एण्ड मेजेजमेण्ट एकाडमी नामक प्रथम सोसाइटी का गठन किया गया है जिसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

ख- भुली गंज योजना-

1- उदय माण्टेसरी स्कूल :-

यह स्कूल सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं राज्य सरकार से अस्थाई मान्यता प्राप्त है। जूलाई 1995 से तीन वर्ष के लिये। यह स्कूल सीतापुर रोड योजना के सेक्टर सी में चल रहा है । इस स्कूल की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र कुमार सिंह हैं ।

ग- सीतापुर रेड्ड योजना

1- प्रगति पब्लिक स्कूल :-

यह प्रगति पब्लिक स्कूल के नाम से है । माण्टेसरी गलत टंकित हो गया है । यह स्कूल सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा राज्य सरकार से अस्थाई मान्यता प्राप्त है। जूलाई 96 से तीन वर्ष के लिये। यह स्कूल जानकी प्रसन्न योजना के सेक्टर एक में चल रहा है । इस स्कूल की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र पाल सिंह हैं ।

घ- कावपुर रोड योजना-

1- सिटी माडल पब्लिक स्कूल :-

यह स्कूल सोसाइटीज एक्ट में पंजीकृत है । तथा राज्य सरकार से अस्थाई मान्यता प्राप्त है । यह स्कूल कावपुर रोड योजना के सेक्टर डी में चल रहा है। इस स्कूल की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री राजपाल मसीम हैं ।

1- समता गर्ल्स स्कूल-

यह स्कूल सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है । यह स्कूल कन्या इण्टरकांलेज खोलना चाहता है । यह स्कूल कावपुर रोड योजना में चल रहा है। इस स्कूल के प्रबन्धक श्री बलवीर सिंह सक्का हैं ।

ङ- शारदा नगर योजना-

1- सुधाश्री विकास विद्यालय:-

यह स्कूल बलौसी नामक नगर लखनऊ। शाबा मोला जेड़ा लखनऊ में चल रहा है । इस स्कूल के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण कबीरिया हैं । यह

स्कूल राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है ।

11- बकीन माण्टेसरी स्कूल:-

यह स्कूल सोसाइटीज् एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है । इस स्कूल के अध्यक्ष श्री तेज सिंह हैं । यह स्कूल कैलाशपुरी आलमबाग में चल रहा है ।

111- बाबू बनारसी दास एजुकेशनल सोसाइटी :-


यह संस्था सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत है । एक शैक्षणिक कालेज खोलने का प्रस्ताव है । इस स्कूल के अध्यक्ष श्री अश्लेश दास हैं ।

11/- जे०पी०माण्टेसरी स्कूल:-

यह स्कूल सोसाइटीज् एक्ट में पंजीकृत है तथा राज्य सरकार से अस्थायी मान्यता प्राप्त है। जूलाई 96 से तीन वर्ष के लिये। यह स्कूल कानपुर रोड योजना के सेक्टर एच में चल रहा है । इस स्कूल की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष ड० आर०ए० निगम हैं ।

1/- सीताराम काण्डेष्ट कालेज:-

नया स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ।

  
23/7/96  
CFA

72

प्रो.क. प्रो.क.

श्री जगन्नु प्रताप सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

१।१ उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश ।

१.२१ आवास आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 19 अप्रैल-1996

विषय :

विकास प्राधिकरण एवं 30 प्रो आवास एवं विकास-  
परिषद की योजनाओं में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं,  
खेलकूद मैदान एवं हार्मिडे रिमोर्ट, टूरिस्ट रिमोर्ट के  
लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के  
सम्बन्ध में ।

=====

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1206/  
9-जा-1-1996, दिनांक 18. 3. 1996, संख्या-1206/11/9-जा-1-1996,  
दिनांक 18. 3. 1996, संख्या-1357/9-जा-1-1996, दिनांक 18. 3. 1996  
तथा संख्या-1430/9-जा-1-1996, दिनांक 27. 3. 1996 के द्वारा 30 प्रो

आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित कानोनोंियों  
में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं, खेलकूद के मैदान एवं हार्मिडे रिमोर्ट आदि के  
लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारि  
की गयी है। उक्त शासनादेशों में की गयी व्यवस्थाओं को एकीकृत कर कतिपय  
नवीन व्यवस्था सहित आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों की  
योजनाओं में निम्नलिखित रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का

...../2/

शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है :-

क्र.सं०	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्र	दर
1	2	3	4
1-	नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल हेतु	एक एकड़	सेक्टर दर का 40%
2-	जूनियर हाई स्कूल व हाई-स्कूल ।	मान्यता देने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि ।	"
3-	इण्टर कालेज	पाँच एकड़	"
4-	डिग्री कालेज/पोस्ट ग्रेजुएट/मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट/ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ।	पाँच एकड़ अथवा मान्यता हेतु रक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि।	50%
5-	इंजीनियरिंग कालेज	मान्यता हेतु रक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि वर्तमान में 7 हेक्टेयर	50%
6-	मेडिकल कालेज	मान्यता हेतु रक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि वर्तमान में 25 हेक्टेयर	"
7-	खेलकूद के लिये छोटे आकार के मैदान हेतु भूमि जिस पर कोई निर्माण नहीं होना है तथा गोल्फ कोर्स, प्लस-नारी मैदान आदि के लिए ऐसे खेलकूद के छोटे मैदान, जल प्रक्रीडा, पानी की अन्य परियोजनाएं जिनमें निर्मित क्षेत्र 2 प्रतिशत से अधिक न हो।		सेक्टर दर का 2 प्रतिशत वार्षिक लाइसेन्स शुल्क के आधार पर ।
8-	खेलकूद के लिए छोड़ी गई भूमि पर खेलकूद सुविधा के लिए किराी भवन निर्माण की भूमि के लिए।		सेक्टर दर का 50%

1	2	3	4
9-	शहर की पनी बस्ती के बाहर हाथिडे रिसार्ट, ट्रिस्ट रिसार्ट हेतु ।	पाँच एकड़	सेक्टर दर का 50,

§ क्रमोंक 9 पर अंकित प्रयोजन के लिए पाँच एकड़ भूमि सीमा से अधिक भूमि की माँग किये जाने पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा ।


2- उपरोक्त के अतिरिक्त जूनियर हाई स्कूल के लिए 2.5 एकड़ तथा इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज व पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के खेल के मैदान के लिये 5.00 एकड़ भूमि अलग से उचित शैक्षिक संस्थाओं के सम्मुख अंकित दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

3- उक्त में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं की भूमि के मूल्य के अदायगी की शर्तें निम्नवत् होगी :-

1. कुल मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटन के समय ।
2. अवशेष 75% धनराशि पाँच सालाना किश्तों में 21 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर नियमित समय में भुगतान करने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

4- हाथिडे रिसार्ट, ट्रिस्ट रिसार्ट होटल के लिए भूमि के मूल्य की अदायगी की शर्तें संबंधित अभिकरण द्वारा अपने स्तर से निर्धारित की जायेगी ।

5- उक्त: कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


भवदीय,  
  
 § अश्विनी प्रताप सिंह §  
 प्रमुख सचिव ।

संख्या- /§1§/9-आ-1-96, तददिनांक ।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- § 1 § आयुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
- § 2 § मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- § 3 § आवास अनुभाग 2/3

आज्ञा से,  
  
 § अनंद नन्दन §  
 सयुक्त सचिव ।

विषय संख्या: 19

पृष्ठ संख्या: 75

विषय: शारदानगर स्थित भवन सं० एम.आई जी -2/298, रूचि खण्ड का कानपुर रोड योजना सेक्टर-आई में स्थित भवन सं० एम/1516 आई में परिवर्तन।

---

शारदा नगर योजना के रूचि खण्ड-2 में एम.आई जी -2/298 श्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी को किराया क्रय पद्धति पर लाटरी द्वारा दिनांक 15-2-92 को आवंटित किया गया था। उक्त योजना में भवन निर्माण पूर्ण न होने के कारण आवंटी श्री त्रिपाठी द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर-जी, एच, अथवा आई में कोई एक एम० आई० जी० भवन, पूर्व आवंटित भवन के स्थान पर आवंटन हेतु अनुरोध किया गया था, जिसकी संस्तुति माननीय श्री राजेश पाण्डेय, सदस्य विधान परिषद, उ० प्र० शासन द्वारा भी गई।

उक्त के क्रम में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 2-4-98 के अनुसार श्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी को उनके पूर्व आवंटित भवन के स्थान पर कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई में एम० आई० जी० भवन संख्या एम/1516/आई परिवर्तित करने की स्वीकृति लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान कर दी गई थी।

चूंकि प्रकरण योजना से योजना परिवर्तन का है, अतः प्रकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या: 20

पृष्ठ संख्या: 76

विषय:- श्री राम प्रसाद मिश्रा.जिला न्यायाधीश कानपुर देहात .कानपुर को आवंटित भवन संख्या 1/319, "ए" श्रेणी अर्द्ध निर्मित विराट खण्ड गोमती नगर के स्थान पर विनीत खण्ड में एक "बी" श्रेणी भूखण्ड के परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

---

श्री राम प्रसाद मिश्रा को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में भवन संख्या 1/319 "अ" श्रेणी अर्द्ध निर्मित दिनांक 25-11-94 को आवंटित हुआ था जिसके विपरीत श्री मिश्र द्वारा रू०- 4.17,000/- प्राधिकरण कोष में जमा किया जा चुका है।

श्री मिश्रा द्वारा अनुरोध किया है कि उन्हें भवन संख्या 1/319 विराट खण्ड के स्थान पर "बी" श्रेणी का भूखण्ड परिवर्तित कर दिया जाय। चूंकि विराट खण्ड में मात्र भवन निर्मित हैं और भूखण्डों का कोई प्राविधान नहीं है। अतः श्री मिश्रा के उपरोक्त भवन के बदले में विनीत खण्ड में एक "ब" प्रकार भूखण्ड परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

-----

विषय:- धर्मपाल रावसेना को वजीर हसन रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 212 के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तित /समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

---

श्री धर्मपाल रावसेना को दिनांक 19-7-88 को वजीर हसन रोड योजना में भूखण्ड संख्या 212 आवंटित किया गया था। श्री रावसेना द्वारा अपेक्षित धनराशि प्राधिकरण में जमा की जा चुकी है परन्तु भूखण्ड पर कुछ व्यक्तियों का अवैध कब्जा होने तथा अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा बेदखली के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण भूखण्ड का कब्जा आवंटी को नहीं दिया जा पा रहा है। चूंकि वजीर हसन रोड योजना में वर्तमान में कोई अन्य भूखण्ड रिक्त नहीं है जो विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जा सके।

अतः श्री रावसेना को वजीर हसन रोड योजना में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में 200 वर्गमीटर का भूखण्ड दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

प्रकरण एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन का है और योजना परिवर्तन में प्रतिबन्ध है जो बिना बोर्ड की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। अतः अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

विषय:—श्री वी०के०गुप्ता को आवंटित भवन संख्या: आर-62 नेहरू इन्क्लेव के स्थान पर गोमती नगर योजना में रिक्तता के आधार पर वैकल्पिक भूखण्ड देने के सम्बन्ध में।

श्री वी०के०गुप्ता को गोमती नगर योजना में नेहरू इन्क्लेव स्थित भवन संख्या: आर-62 आवंटित है। जिसका अनुबन्ध उपरान्त कब्जा देने की औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। परन्तु सेना से विवाद के कारण इनको भवन का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका है। आवंटी द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस भवन के स्थान पर गोमती नगर योजना में कोई भूखण्ड आवंटित कर दिया जाय।

अतः श्री गुप्ता को नेहरू इन्क्लेव में आवंटित भवन के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तित/समायोजित किये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण विचार करना चाहें ।

विषय: हजरतगंज से चारबाग तक स्टेशन रोड के 6 लेन चौड़ीकरण में विभिन्न व्यक्तियों की अधिग्रहीत भूमि के बदले में उन्हें अवशेष भूमि में अतिरिक्त तलक्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0) अनुमन्य किये जाने पर विचार

---

वर्तमान में लखनऊ नगर की सौन्दर्यीकरण योजना के अर्न्तगत हजरतगंज से चारबाग तक स्टेशन रोड के 6 लेन चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अर्न्तगत विभिन्न व्यक्तियों की भूमि सड़क के अन्दर आ रही है। अतः उन्हें इस भूमि का उपयोग करने से वंचित होना पड़ेगा।

अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को इस भूमि हेतु अनुमन्य तल क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0) को अतिरिक्त रूप से अवशेष भूमि में अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। सम्पूर्ण भूखण्ड हेतु तल क्षेत्र अनुपात का निर्धारण लखनऊ महायोजना 2001 (संशोधित) के प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।

---

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २९ जुलाई, १९९८

में विचारणीय अनुपूरक विषयों की विषय-सूची

अनुपूरक क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
१.	गौरव इन्स्टीट्यूट आफ़ वोकेशनल ट्रेनिंग, लखनऊ को भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।	०१
२.	प्राधिकरण में सीक्रेट सर्विस व्यय हेतु प्राविधान।	०२

विषय: गौरव इन्स्टीट्यूट आफ वोकेशनल ट्रेनिंग लखनऊ को भूमि के आवंटन से सम्बन्धित।

गौरव इन्स्टीट्यूट आफ वोकेशनल ट्रेनिंग लखनऊ, सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत है तथा महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा एवं रोजगार पूरक प्रशिक्षण देती है। यह संस्था महिलाओं हेतु भारत सरकार के सहयोग से एक हास्टल बनाना चाहती है। इस संस्था ने गोमती नगर योजना में 600.00 वर्गमी० भूमि की मांग की है।

2. हास्टल के सम्बन्ध में संस्था से सूचना मांगी गयी थी जिसमें संस्था ने सूचित किया है कि लगभग 75 कामकाजी महिलाओं हेतु हास्टल का निर्माण किया जायेगा। निर्माण लागत के वित्त पोषण के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि 90 प्रतिशत अनुदान राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त किया जायेगा एवं 10 प्रतिशत संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

3. उपरोक्त भूमि गोमती नगर योजना के विराज खण्ड के संस्थागत क्षेत्र में उपलब्ध करायी जा सकती है। भूमि की निर्धारित दर रूपया 2,160/- प्र०व०मी० है।

अतः प्राधिकरण कृपया उपरोक्त संस्था को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का कष्ट करें।


विषय : प्राधिकरण में सीक्रेट सर्विस व्यय हेतु प्राविधान।

प्राधिकरण में सीक्रेट सर्विस व्यय हेतु प्राविधान- विकास प्राधिकरण में कतिपय ऐसे व्यय करने पड़ते हैं, जिनका खुलासा करना प्राधिकरण एवं जनहित में उपयुक्त नहीं है तथा प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे व्यय का किया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ - अभिसूचना एकत्रित किया जाना, (Expenditure for development of their sources of intelligence) ध्वस्तीकरण एवं अनाधिकृतकब्जे रोकने में कतिपय सूचनाओं के सोर्सिंग के विपरीत अपरिहार्य व्यय।

इस प्रकार की सीक्रेट सर्विसेज के व्यय को करने का प्राविधान वित्तीय हस्त पुस्तिका वाल्यूम-5 §पार्ट-1§ की धारा 206 में किया गया है जिसमें विभिन्न स्तर के अधिकारियों हेतु इस प्रकार के व्यय की व्यवस्था की गई है। इस व्यय का कोई आडिट नहीं होता है, जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका की उपरोक्त धारा में प्राविधान है। उपाध्यक्ष के विवेकाधीन कोष में पूर्व से ही बजट में प्राविधान है, उसी के अन्तर्गत ₹0 2.00 लाख §दो लाख§ का प्राविधान इसी वित्तीय वर्ष में सीक्रेट सर्विसेज के व्यय हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

इस व्यय के कन्ट्रोलिंग अधिकारी तथा जिस अधिकारी द्वारा यह व्यय सर्विफाई किया जाएगा वह उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण होंगे।

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



(बल मोहन)

सहाय लेखाधिकारी

राजमठ विकास प्राधिकरण

राजमठ

*Secret Service Expenditure*

206. The statement at the end of this paragraph shows the items paid out of the revenues of the State which it has been decided to class as Secret Service expenditure. The controlling officer mentioned in column 2 of the statement will maintain a contingent registers in Form no. 13 in which the date and the amount of each contingent bill will be entered with a note of the progressive expenditure. Within the amount of appropriation placed at his disposal each year the officer may draw bills for such sums, as may be necessary. Such bills will not be supported by vouchers. The general control of the expenditure against the appropriation will be vested in the controlling officer mentioned in column 2 of the statement, who will be responsible that accounts are duly maintained and that payments have been properly made for the purpose for which the appropriation is voted. Every controlling officer will maintain in the form of a cash-book a secret record of all transactions connected with the, "Secret Service Expenditure." This record shall contain the amount and the date of each payment and such indication of its nature as the certifying officer mentioned in column I of the statement may consider necessary in order to enable him to discharge the responsibility placed upon him. The amounts drawn from the Treasury on contingent bills will be entered in the cash book on the receipts side, the number and the date of the bill being noted against the entry. The certifying officers mentioned in column I of the statement should conduct at least once in every year a sufficiently real administrative audit of the expenditure incurred by the officers mentioned in column 2 and furnish a certificate to the Accountant General in the following form not later than December 31, following the year to which it relates—

I certify that I have conducted an administrative audit of the expenditure and that the amount actually expended by me/.....for secret service in the year ending March 31, 19 , was Rs.....; and that the balance in hand on the said March 31, 19 , was Rs.....; and that this balance was surrendered by short drawing in the first bill presented during the year 19 and I declare that the interests of the public service required that the above payments should be made out of secret service funds and that they were properly so made.

The accounts of secret expenditure will not be subject to scrutiny by the Accountant General.

Statement (continued)

Officer, who will certify the expenditure	Controlling officer	Head of account under which provision is made in the budget	Name of expenditure
1	2	3	4
5. Assistant Inspector General of Police, Criminal Investigation Department.	Security Intelligence Officer, Criminal Investigation Department.	29—Police—B—Criminal Investigation Department—Measures to suppress corruption—Contingencies—Secret service money.	Expenditure on secret inquiries and investigation.
6. District Magistrates	District Magistrates	25—General Administration—B—District Administration (a) General Establishment—Contingencies—Non contract—District Intelligence.	Expenditure for development of their sources of intelligence.
7. Additional Director of Industries	Deputy Director of Industries (Headquarters)	43—Industries—A—Industries, Scheme for checking the infringement of Trade Marks and sale of spurious goods.	Expenditure on the payment of rewards to informers engaged in connection with the scheme for checking infringement of Trade Marks and sale of spurious goods.
8. Director of Vigilance	Director of Vigilance	19—General Administration—Non—Plan—C—Miscellaneous (b) Miscellaneous (vi) U.P. Vigilance Commission (b) Directorate of Vigilance—4—Contingencies (d) Secret Service Money.	Expenditure on secret enquiries and investigation."

CHAP. IX

MISCELLANEOUS CHARGES

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 1998 का

कार्यवृत्त

उपस्थित

1. श्री अरुण कुमार मिश्र अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
2. डा० प्रभात कुमार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. श्री आर०के० मित्तल आवास आयुक्त।
4. श्री सदाकान्त जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. श्री बीरेश कुमार विशेष सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
6. श्री दिवाकर त्रिपाठी, मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम।
7. श्री मुस्लीधर संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग।
8. श्री एम०पी०अनेजा मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ०प्र०।
9. श्री आर०सी० अस्थाना जनरल मैनेजर & मुख्य अभियन्ता, जल निगम के प्रतिनिधि।
10. श्री वृजलाल रावत सदस्य/सभासद, नगर निगम।
11. श्री विजय शंकर बाजपेई सदस्य/सभासद, नगर निगम।
12. श्री शिव कुमार सदस्य/सभासद, नगर निगम।
13. श्रीमती उमाशंकरि लोधी सदस्या/सभासद, नगर निगम।
14. डा० सियाराम सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15. श्री जयपाल सिंह सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16. श्री राम आधार सिंह सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

---

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5 मार्च, 1998 के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण

निर्णय : विगत कार्यवृत्त के सम्बन्ध में श्री बीरेश कुमार, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के कमेन्ट्स प्राप्त हुए थे। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इन कमेन्ट्स पर चर्चा के उपरान्त पूर्व में जारी कार्यवृत्त में इन कमेन्ट्स के अनुरूप संशोधन करने का निर्णय लिया गया तथा

✓

विषय संख्या-24 " गोमती नगर योजना के विभिन्न खण्ड में प्राधिकरण भवन के निर्माण कार्य से संबंधित" के सम्बन्ध में कार्यवृत्त से निम्नलिखित भाग को हटाने §डिलीट करने§ का निर्णय लिया गया :-

"प्राधिकरण के भवन की आवश्यकता को देखते हुए कार्य को नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाये।"

तत्पश्चात उक्त संशोधन के साथ विगत बैठक दिनांक 5.3.98 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5 मार्च, 1998 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गत बैठक के निर्णयों के अनुपालन पर सन्तोष व्यक्त किया गया। बैठक के कार्यवृत्त के विषय संख्या-5 " विकास प्राधिकरण के वास्तुकला एवं नियोजन के कार्यों में प्राइवेट वास्तुविदों की भागीदारी।" के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जिन वास्तुविदों का चयन विभिन्न कार्यों हेतु किया जा चुका है, उनके भुगतान एवं शर्तों के बारे में गठित समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष लाया जाये उसके पश्चात ही कोई भुगतान किया जायेगा। भविष्य में किसी भी योजना हेतु प्राइवेट वास्तुविदों का चयन करने के सम्बन्ध में इसके लिए गठित समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष लाया जायेगा उसके पश्चात ही प्राइवेट वास्तुविदों का किसी भी प्रयोजन के लिए चयन किया जायेगा।

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 5.3.98 के निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

§ 1 §

पिछले पांच वर्ष में बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये जिन बहुखण्डी भवनों का निर्माण कर लिया गया है अथवा किया जा रहा है अथवा भवन मानचित्र स्वीकृति के अनुरूप पार्किंग व्यवस्था का प्राविधान नहीं किया गया है, उनकी सूची प्राधिकरण बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

§ 2 §

मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में गठित समिति के सदस्यों को सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व समिति की बैठक से पूर्व उपलब्ध करा दी जाये तथा नगर निगम को इसके साथ प्रस्तावित मानचित्र की प्रति भी भेजी जाये। समिति के सभी सदस्य

अपना स्पष्ट मत/संस्तुति कारण सहित मानचित्र स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये।

§ 3 §

लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक, मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम, जनरल मैनेजर, जल निगम, महाप्रबन्धक, जल संस्थान तथा परसेसिएट वॉटर प्लानर की एक समिति गठित की गयी जो उन पुराने क्षेत्रों का सर्वे तथा परीक्षण करेगी जहां बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को प्रतिबन्धित करना आवश्यक है। यह समिति यह परीक्षण भी करेगी कि विभिन्न क्षेत्रों में बहुमंजिले निर्माण पर क्या क्या प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं ताकि उपलब्ध जन सुविधाओं के सापेक्ष जन संख्या घनत्व को नियन्त्रित किया जा सके। यह कार्यवाही अगले दो माह में कर ली जायेगी तत्पश्चात समिति की संस्तुतियां प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

विषय संख्या : 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्यों की, विगत तीन माह की प्रगति आख्या।

निर्णय :

प्राधिकरण बोर्ड ने लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विगत तीन माह की अल्प अवधि में की गयी आशातीत प्रगति पर न केवल सन्तोष व्यक्त किया गया वरन् विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना भी की गयी।

विषय संख्या : 4

लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल आय-व्ययक 1998-99 का अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 1998-99 में अब तक किये गये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति।

निर्णय :

आय-व्ययक 1998-99 पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नांकित आंशिक संशोधनों सहित सर्व सम्मति से आय-व्ययक अनुमोदित किया गया:-

§ 1 §

आय-पक्ष के किराया शीर्षक के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्रों का किराया मद में अनुमोदित आय ₹05.00 लाख के स्थान पर ₹015.00 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।

§ 2 §

व्यय पक्ष के अन्तर्गत स्थानीय गृह कर एवं जलकर के अन्तर्गत ₹06.00 लाख के स्थान पर ₹010.00 लाख का प्राविधान रखे जाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार उपाध्यक्ष के विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत अनुमानित व्यय ₹05.00 लाख के स्थान पर ₹02.00 लाख रखे जाने के निर्देश दिये गये।

§ 3 §

व्यय पक्ष के अन्तर्गत ही सामुदायिक केन्द्रों के रख रखाव के मद में ₹02.50

4

लाख के स्थान पर ₹0 5.00 लाख का प्राविधान किये जाने के निर्देश दिये गये।

§ 4 § प्रस्तावित आय-व्ययक के पृष्ठ-27 के क्रमांक-14 "अम्बेडकर नगर" शीर्षक में योग 103.00 लाख अंकित किया गया है। इसे शुद्ध कर 153 लाख अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये।

§ 5 § पृष्ठ-27 के क्रमांक 15 अन्य योजनायें § राम नगर, मोतीझील इत्यादि § के कालम-4 में ₹019.00 लाख के स्थान पर ₹060.00 लाख तथा कालम-8 में अंकित ₹060.00 लाख के स्थान पर ₹019.00 लाख अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये।

§ 6 § मलवा संचय शुल्क से प्राप्त आय में से नगर निगम क्षेत्र के लिए प्राप्त किये गये मलवा शुल्क में से नगर निगम का अंश दिये जाने हेतु ₹025.00 लाख का प्राविधान व्यय पक्ष में किये जाने के निर्देश दिये गये।

§ 7 § नगर के विकास हेतु ₹500.00 लाख के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इस धनराशि में अवस्थापना फण्ड की धनराशि सम्मिलित होगी एवं <sup>यदि</sup> अवस्थापना फण्ड की धनराशि अधिक रहेगी तो उक्त बढ़े हुए अवस्थापना फण्ड की धनराशि के सापेक्ष व्यय किया जायेगा। यह धनराशि योजनावार व्यय की जायेगी।

विषय संख्या : 5 बालागंज चौराहे पर "विस्मल व्यावसायिक केन्द्र" निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए बालागंज चौराहे पर प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग को व्यावसायिक करने का निर्णय लिया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त भूमि पर हुए अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों/अन्य का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 6 चारबाग बस अड्डे के सिर्पडस डम्प योजना, आलमबाग में स्थानान्तरित होने पर प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली चारबाग बस अड्डे की भूमि के भू-उपयोग को बस टरमिनल §वी0वि0§ से वाणिज्यिक, स्वण्डीय विपणन केन्द्र §सी-4§ में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

- निर्णय : चारबाग परिवहन बस अड्डे की प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली भूमि के भू-उपयोग को बस टर्मिनल §बी0वी0§ से वाणिज्यिक, खण्डीय विपणन केन्द्र §सी-4§ में परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- विषय संख्या : 7 भारत पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा भूखण्ड संख्या 31/94, महात्मा गांधी मार्ग पर प्रस्तावित कार्यालय/आवासीय मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय : भारत पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा भूखण्ड संख्या 31/94 महात्मा गांधी मार्ग पर प्रस्तावित कार्यालय/आवासीय भवन मानचित्र को स्वीकृति करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- विषय संख्या : 8 राज्य नियोजन संस्थान द्वारा कालाकांकर हाउस, न्यू हैदराबाद स्थित भूखण्ड पर प्रस्तुत कार्यालय भवन के मानचित्र के सम्बन्ध में।
- निर्णय : राज्य नियोजन संस्थान द्वारा कालाकांकर हाउस, न्यू हैदराबाद में प्रस्तावित कार्यालय के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त स्थल पर कार्यालय भवन निर्माण हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अनुमन्य निर्माण के सम्बन्ध में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेंगे।
- विषय संख्या : 9 श्री नूर मोहम्मद, भूखण्ड संख्या बी-4/209 विशाल खण्ड-4 को इनके भूखण्ड के सम्मुख " डेड एण्ड " सड़क की भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
- निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या : 10 प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित किये जाने वाले भवनों/भूखण्डों पर " लोकेशन शुल्क " लिए जाने के सम्बन्ध में विचार।
- निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि कार्नर के भूखण्डों/भवनों पर भूमि के मूल्य का 5 §पांच§ प्रतिशत तथा 18 मीटर अथवा इससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों/भवनों पर 5 §पांच§ प्रतिशत "लोकेशन चार्ज" लगाया जाये।
- विषय संख्या : 11 सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर-जी के किन्यास मानचित्र में " हाईटेशन लाइन " स्थानान्तरित होने के उपरान्त किये गये संशोधनों के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या : 12 कंचन मार्केट के सम्मुख स्थित भूखण्ड के भू-प्रयोग परिवर्तन एवं महायोजना मार्ग के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।

- निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया
- ॥ अ ॥ महायोजना मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर की रहेगी।
- ॥ ब ॥ जो भूखण्ड अब तक निस्तारित कर दिये गये हैं, उसके अतिरिक्त अन्य भूखण्डों का निस्तारण व्यावसायिक उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा।
- ॥ स ॥ निस्तारित किये गये भूखण्डों पर निर्माण की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नाले के लिए उपलब्ध पहुंच मार्ग में कोई अवरोध न हो तथा नाले की चौड़ाई एवं जल निकासी में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- ॥ य ॥ उपरोक्तानुसार निस्तारित भूखण्डों का पुनर्निर्माण करने के उपरान्त प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाये।
- विषय संख्या : 13 आवंटित भूखण्डों/भवनों को प्री-होल्ड किये जाने से संबंधित।
- निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- विषय संख्या : 14 हरदोई रोड योजना में कूड़े से बिजली बनाने हेतु नगर निगम को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- विषय संख्या : 15 हरदोई रोड योजना में 220/132 के 0वीं सव स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन से संबंधित।
- निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- विषय संख्या : 16 अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण से संबंधित
- निर्णय : गोमती नगर योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सम्पत्तियों को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं हेतु अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में उक्त प्रस्ताव का प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।
- विषय संख्या : 17 गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के भवन निर्माण हेतु टेकेन लीज रेन्ड लिए जाने से संबंधित।
- निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- विषय संख्या : 18 स्कूल भूखण्डों के आवंटन से संबंधित।
- निर्णय : स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में प्रकथ संस्थान से संबंधित प्रस्ताव को छोड़कर अन्य सभी शैक्षिक संस्थाओं को आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों से संबंधित

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अवस्थापना सुविधाओं हेतु भू-मूल्य का 10 प्रतिशत ही अधिक लिया जाये। प्रबन्ध संस्थान के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए भूखण्ड नियोजित कर निशिष्ट प्रस्ताव आमंत्रित किये जायें। तत्पश्चात परीक्षण कर संस्तुतियां प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जायें।

- विषय संख्या : 19 शारदा नगर स्थित भवन संख्या एम0आई0जी02/298, रुचि खण्ड का कानपुर रोड योजना सेक्टर-आई में स्थित भवन संख्या एम/1516 आई में परिवर्तन।  
निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
- विषय संख्या : 20 श्री राम प्रसाद मिश्रा, जिला न्यायाधीश कानपुर देहात, कानपुर को आवंटित भवन संख्या 1/319 "ए" श्रेणी अर्दीनिर्मित विराट खण्ड गोमती नगर के स्थान पर विनीत खण्ड में एक "बी" श्रेणी भूखण्ड के परिवर्तन के संबंध में।  
निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या : 21 धर्मपाल सबसेना को वजीर हसन रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 212 के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तित/समायोजित किये जाने के संबंध में।  
निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या : 22 श्री धी0के0 गुप्ता को आवंटित भवन संख्या आर-62 नेहरू इन्क्लेव के स्थान पर गोमती नगर योजना में रिक्तता के आधार पर वैकल्पिक भूखण्ड देने के सम्बन्ध में।  
निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या : 23 इजरतगंज से चारबाग तक स्टेशन रोड के 6 लेन चौड़ीकरण में विभिन्न व्यक्तियों की अधिग्रहीत भूमि के बदले में उन्हें अवशेष भूमि में अतिरिक्त तलक्षेत्र अनुपात {एफ0ए0आर0} अनुमन्य किये जाने पर विचार।  
निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- अनुपूरक विषय सं0-1 गौरव इन्स्टीट्यूट आफ वोकेशनल ट्रेनिंग, लखनऊ की भूमि के आवंटन से संबंधित।  
निर्णय : गौरव इन्स्टीट्यूट आफ वोकेशनल ट्रेनिंग, लखनऊ को 600 {छ:सौ} वर्गमीटर भूमि संस्थागत क्षेत्र में रु01800.00 {एक हजार आठ सौ} प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- अनुपूरक विषय सं0-2 प्राधिकरण में सीक्रेट सर्विस व्यय हेतु प्राविधान।

निर्णय

:

प्रस्तुत प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम चरण में ₹01-00 लाख का प्राविधान इस मद में किया जाये।

अन्य बिन्दु

:

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि लखनऊ नगर महायोजना 2001 बनाने हेतु कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जाये। इस हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को एजेन्सी के रूप में चयनित किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

§डा० प्रभात कुमार§

उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त

§अरुण कुमार मिश्र§

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं  
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।